LexisNexis®

विधिक साक्षरता

सशक्त

LexisNexis®

This book is a publication of **LexisNexis**
(A Division of RELX India Pvt Ltd)
14th floor, Building No 10, Tower–B, DLF Cyber City, Phase-II,
Gurgaon–122002, Haryana, India.
Tel: + 91 124 4774444 Fax: + 91 124 4774100
Website: www.lexisnexis.co.in / E-mail: help.in@lexisnexis.com

---

© LexisNexis (A division of RELX India Pvt Ltd) 2026

All rights including copyrights and rights of translations etc. reserved and vested exclusively with RELX India Pvt Ltd. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in any retrieval system of any nature without the written permission of the copyright owner.

This book can be exported from India only by the publisher. Infringement of this condition of sale will lead to civil and criminal prosecution.

LexisNexis, *विधिक साक्षरता – सशक्त*, 2026

ISBN: 978-81-69439-16-9

Printed by: Sai Printo Pack

Note: Due care has been taken while editing and printing this book. Neither the author nor the publisher of the book hold any responsibility for any mistake that may have inadvertently crept in.

The publisher has taken all care and effort to ensure that the legislative provisions reproduced here are accurate and up to date. However, the publisher takes no responsibility for any inaccuracy or omission contained herein for advice, action or inaction based hereupon. Reference must be made to the Official Gazette issued by the Government of India for the authoritative text of any Act, Rule, Regulation, Notification or Order.

The publisher shall not be liable for any direct, consequential, or incidental damages arising out of the use of this book.

In case of binding mistake, misprints, or missing pages etc., the publisher's entire liability, and your exclusive remedy, is replacement of this book within one month of purchase by similar edition/reprint of the book.

Printed and bound in India.

Certificate of Authenticity

To know if you have purchased a 100% ORIGINAL and AUTHENTIC product, please follow the below verification process:

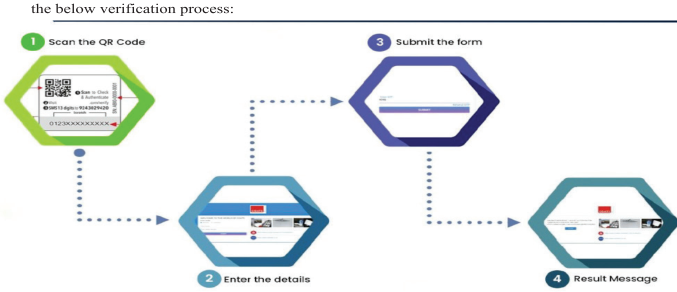

Other modes of verification:
- QR code - user can verify the QR code on VCQRU mobile application
- Any QR code scanner app - user can also verify the code by scanning QR code via any QR scanner app

विषय सूची

		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	अस्वीकरण एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी	vii
	इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें	xi
	शब्दावली	xiii
अध्याय		
1.	घरेलू हिंसा क्या है?	1
2.	कौन सहायता प्राप्त कर सकता है?	6
3.	घरेलू नातेदारी और साझा गृह क्या हैं?	14
4.	संरक्षण अधिकारी	17
5.	सेवा प्रदाता, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएँ	23
6.	मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना	29
7.	संरक्षण आदेश	35
8.	निवास आदेश	39
9.	धनीय राहत	44
10.	अभिरक्षा आदेश	49
11.	प्रतिकर आदेश	55
12.	तात्कालिक आदेश: अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत	62
13.	निःशुल्क प्रतियां, अवधि, परिवर्तन, और आदेशों का प्रवर्तन	69
14.	अपील	77
15.	संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड	82
16.	यदि अधिकारी या सहायता प्रदाता कार्यवाही न करें	90
	आभार	98

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ("अधिनियम") तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 ("नियम"), घरेलू हिंसा से प्रभावित, व्यथित महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार और कानूनी अनुतोष प्रदान करते हैं।

अधिनियम के अनुसार, घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें भावनात्मक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, धमकियाँ, उत्पीड़न, दहेज से संबंधित दबाव तथा ऐसा कोई भी आचरण शामिल हो सकता है जिससे किसी महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को हानि पहुँचती हो।

इस अधिनियम के अंतर्गत, महिलाओं को हिंसा से संरक्षण, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार, आर्थिक अनुतोष, बच्चों की अभिरक्षा-संबंधी आदेश, प्रतिकर, आश्रय, चिकित्सा सहायता तथा संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं से सहायता प्राप्त करने जैसी विभिन्न कानूनी अनुतोष उपलब्ध हैं।

यह हस्तपुस्तिका मुख्यतः सरल भाषा में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को अधिनियम के मूल सिद्धांतों को समझने में सहायता प्रदान करना है, जिन्हें विधिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को समझने में सुविधा के लिए उन्हें "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" के रूप में व्यवस्थित किया गया है।

यह हस्तपुस्तिका पाठकों को निम्नलिखित विषयों को समझने में सहायता प्रदान करेगा-

- घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है;
- इस अधिनियम के अंतर्गत किन व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त है;
- सहायता के लिए किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है;
- मजिस्ट्रेट किस प्रकार के आदेश पारित कर सकते हैं;
- मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कैसे किया जाए;
- मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद क्या होता है;
- यदि किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं; तथा
- आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता कहाँ उपलब्ध हो सकती है।

अस्वीकरण एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी

यह पुस्तिका कानून को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से तैयार की गई है और केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह विधिक सलाह नहीं है। घरेलू हिंसा से जुड़े मामले तात्कालिक, व्यक्तिगत तथा जटिल हो सकते हैं। कानून, प्रक्रियाएँ और संबंधित प्राधिकरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं तथा समय-समय पर इनमें परिवर्तन भी हो सकता है।

यदि आपको किसी विशिष्ट मामले में सहायता की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से संपर्क कर सकती हैं—

- किसी अधिवक्ता से;
- विधिक सेवा प्राधिकरण से;
- संरक्षण अधिकारी से;
- पुलिस से;
- किसी पंजीकृत सेवा प्रदाता से;
- किसी आश्रय गृह से;
- किसी चिकित्सा सुविधा से; अथवा
- किसी विश्वसनीय सहायता संगठन से।

यदि आप या कोई अन्य व्यक्ति तत्काल खतरे में है, तो बिना विलंब किए तत्काल सहायता प्राप्त करें। आप निम्नलिखित में से किसी से भी संपर्क कर सकती हैं—

- पुलिस;
- आपातकालीन सेवाएँ;
- अपने निकट किसी विश्वसनीय व्यक्ति;
- संरक्षण अधिकारी;
- किसी पंजीकृत सेवा प्रदाता;
- किसी आश्रय गृह;
- किसी चिकित्सा सुविधा;

- विधिक सेवा प्राधिकरण; अथवा
- किसी स्थानीय गैर-सरकारी संगठन या सहायता संगठन।

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 के प्रावधानों पर आधारित हैं। इनमें किसी राज्य के विशेष कानूनों, नियमों, संशोधनों, अधिसूचनाओं या न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया गया है। राज्य-विशिष्ट जानकारी के लिए पाठकों को संबंधित राज्य सरकार या भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।

कृपया ध्यान दें कि इस पुस्तिका में जहाँ कहीं भी भारतीय दंड संहिता (IPC) अथवा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का उल्लेख किया गया है, वहाँ उसे क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

आपातकालीन संपर्क

सेवा / हेल्पलाइन	नंबर	उद्देश्य
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली	112	पुलिस, एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन सहायता के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन।
महिला हेल्पलाइन	181	घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिए 24×7 सहायता। आवश्यकतानुसार पुलिस, संरक्षण अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, चिकित्सा सेवाओं, निःशुल्क विधिक सहायता तथा परामर्श सेवाओं से संपर्क स्थापित करने में सहायता करती है।
पुलिस आपातकालीन सेवा	100	तत्काल पुलिस सहायता के लिए। कई क्षेत्रों में यह सेवा 112 के साथ भी उपलब्ध है।

सेवा / हेल्पलाइन	नंबर	उद्देश्य
महिला पुलिस हेल्पलाइन	1091	संकट में फँसी महिलाओं, विशेषकर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या छेड़छाड़ जैसी परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन	7827170170	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के संबंध में जानकारी, मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करती है।
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण से प्रभावित बच्चों के लिए सहायता।
राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा	102	चिकित्सा आपातस्थिति में एम्बुलेंस तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराती है।

नोट: हेल्पलाइन नंबर और सेवाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं। उपयोग से पहले संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के आधिकारिक स्रोत से इनकी पुष्टि कर लें।

सुरक्षा संबंधी सुझाव

यदि इस पुस्तिका, आपके खोज इतिहास, नोट्स, संदेशों या कानूनी दस्तावेज़ों को अपने घर या मोबाइल फोन में रखना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

आपको इस पुस्तिका को शुरू से अंत तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उस अध्याय पर जा सकती हैं जो आपकी स्थिति से संबंधित हो।

यदि आप अधिनियम में प्रयुक्त किसी महत्वपूर्ण शब्द, जैसे "व्यथित व्यक्ति ", "घरेलू संबंध", "साझी गृहस्थी", "संरक्षण अधिकारी", "सेवा प्रदाता", "संरक्षण आदेश", "निवास आदेश" या "आर्थिक राहत" का अर्थ समझना चाहती हैं, तो आप शब्दावली भी देख सकती हैं।

उदाहरण के लिए—

- घरेलू हिंसा में किस प्रकार के कृत्य शामिल हैं, यह समझने के लिए अध्याय 1: "घरेलू हिंसा क्या है?" पढ़ें।
- यह जानने के लिए कि अधिनियम के अंतर्गत किन व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है, अध्याय 2: "सहायता कौन प्राप्त कर सकता है?" पढ़ें।
- घरेलू संबंध, साझी गृहस्थी तथा साझा गृह में रहने के अधिकार को समझने के लिए अध्याय 3: "घरेलू संबंध और साझा गृह क्या है?" पढ़ें।
- यह जानने के लिए कि संरक्षण अधिकारी आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, अध्याय 4: "संरक्षण अधिकारी" पढ़ें।
- सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधाओं से उपलब्ध सहायता के बारे में जानने के लिए अध्याय 5: "सेवा प्रदाता, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएँ" पढ़ें।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया समझने के लिए अध्याय 6: "मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन" पढ़ें।
- न्यायालय द्वारा उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आदेशों और राहतों के बारे में जानने के लिए अध्याय 7 से 13 पढ़ें।
- न्यायालय द्वारा उपलब्ध तात्कालिक या अस्थायी आदेशों के बारे में जानने के लिए अध्याय 12: "तात्कालिक आदेश: अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत" पढ़ें।
- न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद क्या होता है, जैसे आदेश की निःशुल्क प्रतियाँ, आदेश की अवधि, उसमें परिवर्तन तथा उसके पालन की प्रक्रिया—समझने के लिए अध्याय 13: "आदेशों की निःशुल्क प्रतियाँ, अवधि, परिवर्तन और पालन" पढ़ें।
- अपील की प्रक्रिया समझने के लिए अध्याय 14: "अपील" पढ़ें।

- संरक्षण आदेश के उल्लंघन तथा उससे संबंधित दंड के बारे में जानने के लिए अध्याय 15: “संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड” पढ़ें।
- यदि अधिकारी या सेवा प्रदाता सहायता नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकती हैं, यह जानने के लिए अध्याय 16: “यदि अधिकारी या सेवा प्रदाता सहायता न करें” पढ़ें।

यदि आपको यह समझ में न आए कि कहाँ से शुरुआत करें, तो पहले अध्याय 1 पढ़ें ताकि आप घरेलू हिंसा को समझ सकें, फिर अध्याय 2 पढ़ें ताकि यह जान सकें कि सहायता कौन प्राप्त कर सकता है, और उसके बाद अध्याय 6 पढ़ें ताकि मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया समझ सकें।

यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो बिना विलंब किए पुलिस, आपातकालीन सेवाओं, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ता या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन से तुरंत सहायता प्राप्त करें।

शब्दावली

इस भाग में अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों का सरल भाषा में अर्थ समझाया गया है।

व्यथित व्यक्ति

"व्यथित व्यक्ति" से अभिप्राय ऐसी महिला से है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रह चुकी है और जो यह कहती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है।

उदाहरण: यदि कोई पत्नी कहती है कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, उसे धमकाया या घर-गृहस्थी के खर्च के लिए धन का उपयोग करने से उसे रोका, तो वह व्यथित व्यक्ति हो सकती है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(क)।

बालक / बालिका

"बालक" या "बालिका" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। इसमें दत्तक संतान, सौतेला या सौतेली संतान तथा पालित संतान भी शामिल हैं।

उदाहरण: कोई महिला अपने बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा या उसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय से आदेश की माँग कर सकती है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(ख)।

प्रतिकर आदेश

"प्रतिकर आदेश" वह आदेश है जिसमें मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कारण हुए नुकसान के लिए व्यथित महिला को प्रतिकर और हर्जाना देने का आदेश देता है।

इसमें मानसिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग के लिए प्रतिकर भी शामिल हो सकता है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 22।

अभिरक्षा आदेश

"अभिरक्षा आदेश" वह आदेश है जिसके तहत मजिस्ट्रेट किसी बालक या बालिका की अस्थायी अभिरक्षा व्यथित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं।

मजिस्ट्रेट यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी बालक या बालिका से मुलाकात कर सकेगा या नहीं। यदि मुलाकात की अनुमति दी जाती है, तो मजिस्ट्रेट यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि मुलाकात किस प्रकार और किन शर्तों पर होगी।

स्रोत: अधिनियम की धारा 21।

घरेलु नातेदारी

“घरेलू नातेदारी” से अभिप्राय ऐसे दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी से है जो किसी समय साझी गृहस्थी में साथ रहते हैं या रह चुके हैं और जिनके बीच निम्नलिखित में से कोई संबंध हो-

- रक्त संबंध;
- विवाह;
- विवाह के समान प्रकृति का संबंध;
- दत्तक संबंध; या

संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में साथ रहना।

अर्थात्, यह अधिनियम केवल वर्तमान वैवाहिक संबंधों पर ही लागू नहीं होता। यह कुछ पारिवारिक, दत्तक, संयुक्त पारिवारिक तथा विवाह-सदृश संबंधों पर भी लागू हो सकता है, यदि संबंधित व्यक्ति किसी समय साझी गृहस्थी में साथ रहते रहे हों।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(च)।

घरेलू हिंसा

“घरेलू हिंसा” से अभिप्राय प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऐसा आचरण है जिससे व्यथित महिला को हानि पहुँचती हो, चोट लगती हो, उसे धमकाया या उत्पीड़ित किया जाता हो, या उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- शारीरिक दुर्व्यवहार;
- यौन दुर्व्यवहार;
- मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार;
- आर्थिक दुर्व्यवहार;
- दहेज से संबंधित उत्पीड़न;
- धमकियाँ; तथा
- ऐसा कोई अन्य आचरण जिससे व्यथित महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को हानि पहुँचती हो।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(छ) एवं 3।

दहेज

"दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

सरल शब्दों में, दहेज से आशय ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के संबंध में दी जाती है, ली जाती है या जिसकी माँग की जाती है।

दहेज से संबंधित उत्पीड़न घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा माना जा सकता है।

स्रोत: अधिनियम की धाराएँ 2(ज) एवं 3।

एकपक्षीय आदेश

"एकपक्षीय आदेश" वह आदेश है जिसे मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को सुने बिना पारित कर सकते हैं।

यदि परिस्थितियाँ अत्यावश्यक हों और कानून में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों, तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं।

ऐसे आदेश के लिए व्यथित महिला को विहित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 23 तथा नियम 6 और 7।

सद्भावपूर्वक

"सद्भावपूर्वक" का वही अर्थ है जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है।

कोई कार्य सद्भावपूर्वक माना जाता है यदि वह ईमानदारी से किया गया हो, भले ही उसे करते समय लापरवाही बरती गई हो।

स्रोत: अधिनियम की धारा 4(2)

अंतरिम आदेश

"अंतरिम आदेश" वह अस्थायी आदेश है जिसे मजिस्ट्रेट मामले के अंतिम निर्णय से पहले पारित कर सकते हैं।

इसका उद्देश्य मामले के अंतिम निर्णय तक व्यथित महिला को आवश्यक संरक्षण या राहत प्रदान करना होता है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 23।

मजिस्ट्रेट

मजिस्ट्रेट वह न्यायिक अधिकारी है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन सुनने और आदेश पारित करने का अधिकार है।

क्षेत्र के अनुसार, यह प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट हो सकता है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(झ)।

चिकित्सा सुविधा

चिकित्सा सुविधा से अभिप्राय ऐसी चिकित्सा संस्था या अस्पताल से है जिसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

यदि व्यथित महिला, अथवा उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता चिकित्सा सहायता का अनुरोध करता है, तो चिकित्सा सुविधा का प्रभारी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

स्रोत: अधिनियम की धाराएँ 2(ञ) एवं 7; तथा नियम 17।

धनीय राहत

धनीय राहत से अभिप्राय उस धनराशि से है, जिसका भुगतान मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के कारण हुई हानि या व्यय की भरपाई के लिए करने का आदेश दे सकता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—

- आय की हानि;
- चिकित्सा व्यय;
- संपत्ति को हुई क्षति; तथा
- महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण का खर्च।

स्रोत: अधिनियम की धारा 20।

विवाह-सदृश संबंध

इस अभिव्यक्ति से अभिप्राय ऐसे संबंध से है जो विधिक रूप से विवाह नहीं है, किन्तु परिस्थितियों के आधार पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसे विवाह के समान माना जा सकता है। इसका प्रयोग प्रायः ऐसे सहजीवन (के लिए किया जाता है, जिसमें दोनों व्यक्ति पति-पत्नी की तरह साथ रहते हों।

उदाहरण: यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ कुछ समय तक उसकी जीवनसंगिनी के रूप में रही हो, तो यह जानने के लिए कि उसका संबंध इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है या नहीं, उसे विधिक सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(च)।

प्रत्यर्थी

"प्रत्यर्थी" वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता या किसी आदेश की मांग की जाती है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में महिला का कहना है कि उसने उसके साथ घरेलू हिंसा की है, अथवा जिसके विरुद्ध वह मजिस्ट्रेट से आदेश पारित करने का अनुरोध करती है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2 (थ)।

संरक्षण अधिकारी

संरक्षण अधिकारी वह अधिकारी है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त करती है।

संरक्षण अधिकारी महिला को न्यायालय तक पहुँचने, विधिक सहायता प्राप्त करने, आश्रय, चिकित्सा सहायता तथा अन्य आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता करता है। वह मजिस्ट्रेट की सहायता भी करता है।

स्रोत: अधिनियम की धाराएँ 8 एवं 9; तथा नियम 3, 8, 9 और 10 ।

सेवा प्रदाता

सेवा प्रदाता वह संस्था है जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है और महिलाओं के अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है।

सेवा प्रदाता परिस्थितियों के अनुसार—

- विधिक सहायता,
- चिकित्सा सहायता,
- आर्थिक सहायता,
- आश्रय,
- परामर्श, अथवा
- अन्य आवश्यक सहायता

उपलब्ध करा सकता है।

उदाहरण: घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के साथ कार्य करने वाला कोई पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन सेवा प्रदाता हो सकता है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 10; तथा नियम 11।

साझी गृहस्थी

साझी गृहस्थी से अभिप्राय ऐसे घर से है जहाँ व्यथित महिला घरेलू संबंध के दौरान वर्तमान में रहती है या किसी भी समय रह चुकी है।

इसमें ऐसा घर शामिल हो सकता है जो—

- दोनों पक्षों के स्वामित्व में हो या दोनों ने किराये पर लिया हो;
- किसी एक पक्ष के स्वामित्व में हो या किसी एक ने किराये पर लिया हो;
- जिस पर किसी भी पक्ष का अधिकार, स्वामित्व, हित या न्यायसंगत दावा हो; अथवा
- ऐसे संयुक्त परिवार का घर हो, जिसका प्रतिवादी सदस्य हो।

यदि घर महिला के नाम पर न भी हो, तब भी इस अधिनियम के अंतर्गत उसे उस साझा गृह से संबंधित अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

स्रोत: अधिनियम की धारा 2(ध) |

आश्रय गृह

आश्रय गृह से अभिप्राय ऐसे आश्रय स्थल से है जिसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। यदि व्यथित महिला, अथवा उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता आश्रय की मांग करता है, तो आश्रय गृह का प्रभारी उसे आश्रय उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

स्रोत: अधिनियम की धाराएँ 2(ट) एवं 6; तथा नियम 16 |

स्त्रीधन

स्त्रीधन से सामान्यतः अभिप्राय उस संपत्ति से है जो किसी महिला की अपनी होती है। इसमें प्रायः विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद उसे प्राप्त आभूषण, उपहार, धन या अन्य संपत्ति शामिल होती है। अधिनियम में स्त्रीधन का उल्लेख आर्थिक दुर्व्यवहार, संरक्षण आदेश तथा निवास आदेश के संदर्भ में किया गया है।

उदाहरण: यदि विवाह के समय महिला को दिए गए आभूषण उससे ले लिए जाएँ या उसे वापस न किए जाएँ, तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र हो सकती है।

स्रोत: अधिनियम की धाराएँ 3, 18 और 19 |

संरक्षण आदेश

"संरक्षण आदेश" वह आदेश है जिसे मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा करने या अधिनियम में वर्णित कुछ अन्य कृत्य करने से प्रतिबंधित करने के लिए पारित कर सकते हैं।

इस आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी को—

- व्यथित महिला से किसी भी रूप में संपर्क करने से;
- व्यथित महिला के कार्यस्थल में प्रवेश करने से;
- बालक या बालिका के विद्यालय में प्रवेश करने से;
- कुछ संपत्तियों का उपयोग करने या उनके संबंध में कार्रवाई करने से; अथवा
- व्यथित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों को धमकाने या उनके विरुद्ध हिंसा करने से,

प्रतिबंधित किया जा सकता है।

स्रोत: अधिनियम की धारा 18।

निवास आदेश

"निवास आदेश" वह आदेश है जो साझी गृहस्थी या निवास की व्यवस्था से संबंधित होता है।

इस आदेश के माध्यम से मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को—

- व्यथित महिला को साझी गृहस्थी से बेदखल करने से;
- व्यथित महिला के कब्जे या निवास में बाधा डालने से;
- साझी गृहस्थी को बेचने, हस्तांतरित करने या उससे संबंधित कुछ लेन-देन करने से; अथवा
- साझी गृहस्थी के किसी विशेष भाग में प्रवेश करने से

प्रतिबंधित कर सकते हैं।

उचित परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी छोड़ने, या व्यथित महिला के लिए वैकल्पिक आवास अथवा किराये की व्यवस्था करने का भी निर्देश दे सकते हैं।

स्रोत: अधिनियम की धारा 19।

अध्याय 1
घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा नहीं है। यह शब्दों, धमकियों, नियंत्रण, दबाव या ऐसे व्यवहार के रूप में भी हो सकती है जिससे महिला असुरक्षित, भयभीत, अपमानित महसूस करे या गरिमा के साथ जीने में असमर्थ हो।

कानून यह मानता है कि दुर्व्यवहार महिला के शरीर, मन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, धन, घर, बच्चों और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है।

1. "घरेलू हिंसा" का क्या अर्थ है?

घरेलू हिंसा का अर्थ उस व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में है या रह चुकी है।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

- शारीरिक दुर्व्यवहार;
- यौन दुर्व्यवहार;
- मौखिक दुर्व्यवहार;
- भावनात्मक दुर्व्यवहार;
- आर्थिक दुर्व्यवहार;
- दहेज-संबंधी उत्पीड़न;
- धमकियाँ;
- मानसिक या शारीरिक कल्याण को नुकसान।

यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको चोट पहुँचाता है, खतरे में डालता है, डराता है, या आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा या रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है, तो वह घरेलू हिंसा हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
धारा 2(छ); अधिनियम की धारा 3(क)–(घ)|

2. क्या घरेलू हिंसा केवल तब होती है जब कोई मुझे मारता है?

नहीं।

मारपीट घरेलू हिंसा का केवल एक रूप है, लेकिन कानून इसके अलावा भी कई प्रकार के दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा मानता है।

घरेलू हिंसा में यौन दुर्व्यवहार, अपमान, बेइज्जती, धमकियाँ, धन पर नियंत्रण, आपकी संपत्ति लेना, दहेज की मांग के लिए दबाव डालना, या आपको उस घर या संसाधनों का उपयोग करने से रोकना भी शामिल हो सकता है जिन पर आपका अधिकार है।

सहायता मांगने से पहले आपको शारीरिक चोट लगने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: धारा 3(क);
अधिनियम की धारा 3 का स्पष्टीकरण ।

3. शारीरिक दुर्व्यवहार क्या है?

शारीरिक दुर्व्यवहार का अर्थ ऐसा कोई कार्य है जो आपके जीवन, शरीर, स्वास्थ्य या सुरक्षा को दर्द, चोट या खतरा पहुँचाता है।

इसमें मारना, थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का देना, गला दबाना, जलाना, किसी वस्तु से चोट पहुँचाना, बंद कर देना, या आपको शारीरिक नुकसान पहुँचाने की धमकी देना शामिल हो सकता है।

इसमें ऐसा व्यवहार भी शामिल हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य या जीवन को जोखिम में डालता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 3 का स्पष्टीकरण 1(i) |

4. लैंगिक दुरुपयोग क्या है?

लैंगिक दुरुपयोग (यौन शोषण) का अर्थ ऐसा यौन व्यवहार है जो आपकी गरिमा का उल्लंघन करता है या आपको असुरक्षित, अपमानित, नीचा दिखाया गया या मजबूर महसूस कराता है।

इसमें आपको यौन कृत्यों के लिए मजबूर करना या दबाव डालना, आपके साथ यौन रूप से अपमानजनक तरीके से व्यवहार करना, या आपको नियंत्रित करने, दंडित करने या शर्मिंदा करने के लिए यौन व्यवहार का उपयोग करना शामिल हो सकता है।

यदि लैंगिक दुरुपयोग के बाद आपको चिकित्सा सहायता या तत्काल संरक्षण चाहिए, तो आप पुलिस, चिकित्सा सुविधा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
धारा 3 का स्पष्टीकरण 1(ii); अधिनियम की
धाराएँ 5, 7, 9(1)(छ) और 10(2)(ख) |

5. मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग क्या है?

मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में ऐसे शब्द या व्यवहार शामिल हो सकते हैं जो बार-बार आपका अपमान करें, शर्मिंदा करें, मज़ाक उड़ाएँ, डराएँ या बेइज्जती करें।

उदाहरण के लिए, इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- बार-बार आपको गाली या अपमानजनक नामों से पुकारना;
- आपके चरित्र पर अपमानजनक टिप्पणी करना;
- दूसरों के सामने आपको अपमानित करना;
- बच्चा न होने के कारण आपका मज़ाक उड़ाना;
- बेटा न होने के कारण आपको ताना देना;
- आपके प्रिय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने की बार-बार धमकी देना।

भावनात्मक दुर्व्यवहार शारीरिक दुर्व्यवहार जितना ही गंभीर हो सकता है। दुर्व्यवहार को महत्व देने के लिए दिखाई देने वाली चोटें आवश्यक नहीं हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 3 का स्पष्टीकरण 1(iii)(क)–(ख) |

6. आर्थिक दुरुपयोग क्या है?

आर्थिक दुरुपयोग का अर्थ धन, संपत्ति, संसाधनों या दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों को नियंत्रित करना या छीन लेना है जिन्हें उपयोग करने का आपको अधिकार है या जिनकी आपको आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- घर की जरूरतों के लिए धन देने से इंकार करना;
- भरण-पोषण देने से इंकार करना;
- आपको अपना धन उपयोग करने से रोकना;
- आपका वेतन, आभूषण, दस्तावेज या संपत्ति छीन लेना;
- आपका स्त्रीधन ले लेना या रोककर रखना;
- ऐसी संपत्ति बेचना या दे देना जिसमें आपका अधिकार या हित है;
- आपको साझा गृह में प्रवेश करने या उसका उपयोग करने से रोकना;
- आपको दैनिक जीवन के लिए आवश्यक चीजों का उपयोग करने से रोकना।

आर्थिक दुरुपयोग भी दुर्व्यवहार है, भले ही किसी ने आपको शारीरिक रूप से चोट न पहुँचाई हो।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 3
का स्पष्टीकरण 1(iv)(क)–(ग) |

7. क्या मेरे आभूषण, वेतन, दस्तावेज या स्त्रीधन ले लेना घरेलू हिंसा है?

हाँ।

यदि कोई आपका धन, आभूषण, वेतन, बैंक दस्तावेज, संपत्ति या स्त्रीधन लेता है या रोककर रखता है, तो यह आर्थिक दुरुपयोग हो सकता है।

तथ्यों के आधार पर, आप संपत्ति वापस पाने या आर्थिक राहत मांगने के लिए सहायता मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
धारा 3 का स्पष्टीकरण 1(iv)(क)–(ग) ;
अधिनियम की धाराएँ 18(ङ) और 19(8) |

8. क्या दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा माना जाता है?

हाँ।

यदि दहेज की मांग, संपत्ति की मांग या किसी मूल्यवान चीज की मांग के कारण आपको या आपके परिवार को चोट पहुँचाई जा रही है, धमकाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, तो यह घरेलू हिंसा हो सकती है।

इसमें विवाह से पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद का दबाव शामिल हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: धारा 2(ज);
अधिनियम की धारा 3(ख) |

9. क्या धमकियाँ भी घरेलू हिंसा हैं?

हाँ।

धमकियाँ घरेलू हिंसा हो सकती हैं यदि वे आपको डराती हैं या आपको नियंत्रित करने, दबाव डालने या नुकसान पहुँचाने के लिए उपयोग की जाती हैं।

उदाहरण के लिए, आपको, आपके बच्चों, आपके माता-पिता, आपके रिश्तेदारों, आपकी संपत्ति या आपकी सहायता करने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ शामिल हो सकती हैं।

धमकी को गंभीर बनने से पहले सच में पूरा होना आवश्यक नहीं है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
धारा 3(ग); अधिनियम की धारा 3 का
स्पष्टीकरण 1(i) और स्पष्टीकरण 1(iii)(ख) |

10. क्या मेरे बच्चों या माता-पिता के विरुद्ध धमकियाँ शामिल हैं?

हाँ।

यदि आपके बच्चों, माता-पिता, रिश्तेदारों या आपके निकट अन्य लोगों के विरुद्ध धमकियों का उपयोग आपको डराने या दबाव डालने के लिए किया जाता है, तो यह घरेलू हिंसा हो सकती है।

कानून यह मानता है कि दुर्व्यवहार उन लोगों को धमकाने के माध्यम से भी हो सकता है जिनकी आप परवाह करती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: धारा 3(ग);
धारा 3 का स्पष्टीकरण 1(iii)(ख);
अधिनियम की धारा 18(च) |

11. यदि मुझे शारीरिक चोट नहीं लगी, तो क्या मानसिक नुकसान ही पर्याप्त है?

हाँ।

घरेलू हिंसा में आपके मानसिक कल्याण को नुकसान शामिल हो सकता है। कानून द्वारा दुर्व्यवहार को मान्यता देने के लिए आपको शारीरिक चोट दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

बार-बार डर, अपमान, दबाव, नियंत्रण या भावनात्मक कष्ट प्रासंगिक हो सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 3(क), धारा 3(घ), और धारा 3 का स्पष्टीकरण 2 |

12. सहायता मांगने से पहले दुर्व्यवहार कितनी बार होना चाहिए?

कोई निश्चित न्यूनतम संख्या नहीं है।

एक गंभीर घटना भी पर्याप्त हो सकती है। छोटी घटनाओं का बार-बार होना भी गंभीर हो सकता है।

अदालत पूरी स्थिति को देख सकती है, जिसमें क्या हुआ, कितनी बार हुआ, और उसने आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
धारा 3; धारा 3 का स्पष्टीकरण 2; अधिनियम की धारा 23(2) |

13. यदि मुझे निश्चित नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ वह घरेलू हिंसा है या नहीं, तो क्या होगा?

आप फिर भी सहायता मांग सकती हैं।

किसी से बात करने से पहले आपको सटीक कानूनी शब्द जानना आवश्यक नहीं है। आप संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, वकील, विधिक सहायता प्राधिकरण, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा सुविधा या विश्वसनीय सहायता संगठन को बता सकती हैं कि क्या हुआ।

वे आपके विकल्प समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम
की धाराएँ 4, 5, 9, 10 और 12 |

अध्याय 2
कौन सहायता प्राप्त कर सकता है?

घरेलू हिंसा अधिनियम उन महिलाओं की रक्षा करता है जो घरेलू संबंध में हैं या रह चुकी हैं और घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं।

आपको इस स्थिति का सामना अकेले नहीं करना है। सहायता पुलिस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता प्राधिकरण या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।

आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित कोई अन्य व्यक्ति भी जानकारी दे सकता है या सहायता प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है।

1. क्या विवाहित महिला अपने पति के विरुद्ध सहायता मांग सकती है?

हाँ।

यदि पत्नी अपने पति से घरेलू हिंसा का सामना करती है, तो वह अधिनियम के तहत सहायता मांग सकती है।

तथ्यों के आधार पर, वह संरक्षण, निवास-संबंधी सहायता, खर्चों या भरण-पोषण के लिए पैसे, अस्थायी अभिरक्षा आदेश, क्षतिपूर्ति या तत्काल आदेश मांग सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 2(क), 2(च), 2(थ), 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 |

2. क्या महिला अपने ससुराल पक्ष या पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध सहायता मांग सकती है?

तथ्यों और वर्तमान कानूनी स्थिति के आधार पर, जहाँ पति के रिश्तेदार घरेलू हिंसा में शामिल हों, वहाँ महिला सहायता मांग सकती है।

उदाहरण के लिए, यह तब प्रासंगिक हो सकता है जब रिश्तेदार दहेज उत्पीड़न, धमकियों, मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, या उसे साझा गृह से निकालने में शामिल हों।

संबंधित कानूनी प्रावधान: धारा 2(थ) का परंतुक; अधिनियम की धाराएँ 3, 4, 12 और 23–18 |

3. क्या अधिनियम केवल पत्नियों के लिए है?

नहीं।

अधिनियम केवल पत्नियों तक सीमित नहीं है।

यदि कोई महिला अधिनियम के तहत आने वाले घरेलू नातेदारी में है या रह चुकी है, तो उसे संरक्षण मिल सकता है।

तथ्यों के आधार पर, इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- पत्नी;
- माँ;
- बहन;
- बेटी;
- बहू;
- दत्तक बेटी;
- विधवा;
- विवाह-सदृश संबंध में रहने वाली महिला;
- अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य घरेलू नातेदारी में रहने वाली महिला।

संबंधित कानूनी प्रावधान: धारा 2(थ) का परंतुक;
अधिनियम की धाराएँ 3, 4, 12 और 18–23 |

4. क्या अभी साथ रहना आवश्यक है, या यदि मैं पहले ही घर छोड़ चुकी हूँ तो भी सहायता मांग सकती हूँ?

नहीं। यह आवश्यक नहीं कि आप अभी साथ रह रही हों।

यदि आप प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध में हैं या रह चुकी हैं, तो अधिनियम लागू हो सकता है। इसमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ आप किसी समय साझा गृह में साथ रही हों, यदि संबंध अधिनियम के अंतर्गत आता है।

यदि आप हिंसा, धमकी, दबाव, डर या जबरन निकाले जाने के कारण घर पहले ही छोड़ चुकी हैं, तो सहायता मांगते समय आप यह बता सकती हैं।

तथ्यों के आधार पर, आप फिर भी अधिनियम के तहत संरक्षण और अन्य उपचार मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(क), 2(च), 2(ध), 17 और 19 |

5. क्या अधिनियम लिव-इन संबंधों पर लागू होता है?

यह कुछ लिव-इन संबंधों पर लागू हो सकता है।

अधिनियम "विवाह-सदृश संबंध" का उल्लेख करता है। इसका अर्थ ऐसा संबंध है जो कानूनी विवाह नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विवाह जैसा माना जा सकता है।

हर लिव-इन संबंध अपने-आप इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि संबंध किस प्रकार चला, पक्ष साथ रहे या नहीं, और अन्य तथ्य क्या हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: धारा 2(च); अधिनियम की धारा 2(थ) का परंतुक।

6. क्या महिला अपने बच्चों से संरक्षण मांग सकती है?

यदि किसी महिला को उसके साथ घरेलू संबंध में आने वाले किसी व्यक्ति, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी शामिल हैं, द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो मामले के तथ्यों और वर्तमान विधिक स्थिति के आधार पर वह इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती है।

उदाहरण के लिए, किसी वयस्क बच्चे द्वारा हिंसा, धमकी, आर्थिक दुर्व्यवहार या घर से निकाले जाने का सामना कर रही बुजुर्ग माँ को इस अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत अपने विकल्प समझने के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(क), 2(च), 2(थ), 3, 4 और 12।

7. क्या मैं महिला रिश्तेदार के विरुद्ध शिकायत कर सकती हूँ?

अधिनियम के तहत शिकायतें केवल वयस्क पुरुषों तक सीमित नहीं हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(थ) से "वयस्क पुरुष" शब्दों को निरस्त कर दिया है। इसका अर्थ है कि तथ्यों के आधार पर, घरेलू हिंसा करने वाले पुरुष या महिला रिश्तेदार के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की
धारा 2(थ) और धारा 2(थ) का परंतुक; वर्तमान न्यायिक निर्णय।

8. क्या मैं अपने पूर्व पति के विरुद्ध शिकायत कर सकती हूँ?

हाँ, पूर्व पति अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी के रूप में शामिल हो सकता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून वहाँ लागू हो सकता है जहाँ महिला प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध में है या रह चुकी है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(क) और 2(थ)।

9. क्या मैं अपने पूर्व प्रेमी के विरुद्ध शिकायत कर सकती हूँ?

यह संबंध पर निर्भर करता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम हर डेटिंग संबंध को शामिल नहीं करता। इस अधिनियम का उपयोग करने के लिए महिला का उस व्यक्ति के साथ "घरेलू संबंध" होना या पहले होना आवश्यक है जिसके विरुद्ध वह शिकायत कर रही है।

घरेलू संबंध में विवाह-सदृश संबंध शामिल हो सकता है। सरल शब्दों में, इसमें कुछ ऐसे संबंध शामिल हो सकते हैं जहाँ जोड़ा विवाह जैसी स्थिति में साझा गृह में साथ रहा हो।

इसलिए, तथ्यों के आधार पर, आप पूर्व प्रेमी के विरुद्ध शिकायत कर सकती हैं यदि:

- आप साझा गृह में साथ रहती थीं या रह चुकी थीं; और
- संबंध को कानूनी रूप से विवाह-सदृश संबंध माना जा सकता है; और
- आपने उस संबंध में घरेलू हिंसा का सामना किया।

यदि संबंध केवल डेटिंग संबंध था और आप कभी साझा गृह में साथ नहीं रहीं, तो अधिनियम और नियम यह कहने के लिए पर्याप्त आधार नहीं देते कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत की जा सकती है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई सहायता उपलब्ध ही नहीं है। जो हुआ उसके आधार पर अन्य कानून लागू हो सकते हैं, जैसे धमकियाँ, पीछा करना, यौन हिंसा, उत्पीड़न, हमला, धोखाधड़ी, ब्लैकमेल या ऑनलाइन दुर्व्यवहार। वकील, विधिक सहायता प्राधिकरण, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता आपको सही विकल्प पर मार्गदर्शन दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(क), 2(च), 2(थ), 3, 4 और 12 |

10. क्या शिकायत मुझे स्वयं ही करनी होगी?

नहीं।

आपको शिकायत स्वयं करना आवश्यक नहीं है।

संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या कोई अन्य व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। घरेलू हिंसा के बारे में जानने वाला कोई व्यक्ति भी जानकारी दे सकता है।

यदि आप डरी हुई हैं, घायल हैं, यात्रा करने में असमर्थ हैं, आपकी निगरानी की जा रही है, या किसी अन्य कारण से आप सुरक्षित रूप से स्वयं सहायता नहीं मांग सकतीं, तो यह उपयोगी हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 4(1), 9(1)(ग), 10(2)(क) और 12(1); नियम 6 |

11. यदि घरेलू हिंसा की शिकायत करने के कारण मुझ पर दबाव डाला जा रहा हो तो क्या करूँ?

यदि घरेलू हिंसा की शिकायत करने के कारण आप पर दबाव डाला जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपकी निगरानी की जा रही है, आपका पीछा किया जा रहा है, या आपको सहायता प्राप्त करने से रोका जा रहा है, तो इसकी जानकारी संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस, विधिक सहायता प्राधिकरण, सेवा प्रदाता, वकील या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन को दें।

नियमों के अनुसार, संरक्षण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह यथासंभव सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे ताकि घरेलू हिंसा की शिकायत करने के कारण व्यथित व्यक्ति और उसके बच्चों को प्रताड़ित या दबाव का शिकार न होना पड़े।

आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट से उपयुक्त संरक्षण या त्वरित आदेश जारी करने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9, 18 और 23; नियम 8(1)(xii)।

12. क्या घरेलू हिंसा की सूचना देने पर किसी को परेशानी में पड़ना होगा?

जो व्यक्ति सद्भावना में जानकारी देता है, उसे वह जानकारी देने के लिए दीवानी (सिविल) या आपराधिक दायित्व से संरक्षण मिलता है।

सरल शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति चिंता के कारण ईमानदारी से घरेलू हिंसा की सूचना देता है, तो कानून उसे केवल वह जानकारी देने के कारण मुकदमा किए जाने या अभियोजन से संरक्षण देता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 4(2)।

13. मैं सहायता के लिए कहाँ जा सकती हूँ?

आप निम्न में से एक या अधिक से संपर्क कर सकती हैं:

- पुलिस;
- संरक्षण अधिकारी;
- पंजीकृत सेवा प्रदाता;
- मजिस्ट्रेट;
- आश्रय गृह;
- चिकित्सा सुविधा;

- विधिक सहायता प्राधिकरण;
- विश्वसनीय सहायता संगठन।

अधिनियम के तहत अदालत के आदेशों के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधनियिम की धाराएँ 5, 6, 7, 9, 10, 12 और 27 |

14. क्या घरेलू हिंसा की सूचना देना अनिवार्य है?

अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दे सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा की सूचना नहीं देता है, तो केवल इस आधार पर उसके लिए कोई सामान्य दंड का प्रावधान अधिनियम में नहीं है।यदि आप अनिश्चित या डरी हुई हैं, तो सहायता प्राप्त करने के सुरक्षित तरीकों के बारे में किसी विश्वसनीय सहायक व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, विधिक सहायता प्राधिकरण या वकील से बात कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 4(1) |

15. क्या कोई व्यक्ति मुझे पहले बताए बिना घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है?

अधिनियम के अनुसार, जिस किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की आशंका है, वह इसकी सूचना दे सकता है।

हालाँकि, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सूचना इस प्रकार दी जानी चाहिए कि उससे महिला के लिए खतरा और न बढ़े।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 4(1) और 4(2) |

सुरक्षा संबंधी नोट: यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा, गोपनीयता और इच्छाओं के बारे में सावधानी से सोचें। यदि संभव हो, तो सुरक्षित कदमों के बारे में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी या विधिक सहायता संगठन से बात करें।

16. जानकारी देने के बाद क्या होता है?

जानकारी किसे मिलती है, इसके आधार पर महिला की सहायता के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—

- महिला से संपर्क करना;
- जो हुआ उसे दर्ज करना;

- घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना;
- उसे चिकित्सा सहायता दिलाने में मदद करना;
- उसे आश्रय दिलाने में मदद करना;
- उसे मजिस्ट्रेट को आवेदन करने में मदद करना;
- उसे विधिक सहायता या सहायता सेवाओं से जोड़ना।

सटीक कदम स्थिति और संपर्क किए गए प्राधिकारी या संगठन पर निर्भर हो सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 12; नियम 5 और 6।

17. क्या गुमनाम जानकारी पर कार्रवाई की जा सकती है?

अधिनियम गुमनाम जानकारी के लिए अलग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता।

हालाँकि, यदि जानकारी गंभीर और विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो परिस्थिति और स्थानीय व्यवहार के आधार पर प्राधिकारी या सहायता सेवाएँ सुरक्षा की जाँच के लिए कदम उठा सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 4; राज्य-विशिष्ट व्यवहार की पुष्टि की जानी चाहिए।

18. क्या मैं एक ही आवेदन में एक से अधिक प्रकार की सहायता माँग सकता/सकती हूँ? हाँ।

आप एक ही आवेदन में न्यायालय से एक से अधिक प्रकार की राहत या सहायता का अनुरोध कर सकते हैं।उदाहरण के लिए, तथ्यों के आधार पर, आप संरक्षण, निवास-संबंधी सहायता, खर्चों या भरण-पोषण के लिए धनराशि, बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा, क्षतिपूर्ति या तत्काल आदेश मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5(क), 12(1), 18–23 और 26।

19. क्या आवेदन दाखिल करने के लिए मुझे वकील चाहिए?

अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए हमेशा वकील आवश्यक नहीं होता।

आवेदन महिला स्वयं, संरक्षण अधिकारी, या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है।

हालाँकि, कानूनी सहायता उपयोगी हो सकती है, विशेषकर यदि मामला जटिल या तत्काल हो, या उसमें बच्चे, संपत्ति, आपराधिक शिकायतें, भरण-पोषण, तलाक या अन्य अदालत के मामले शामिल हों।

पात्र व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सकती है। आप संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से यह जाँचने और आवेदन करने में सहायता मांग सकती हैं कि आप निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं। निःशुल्क विधिक सहायता में कानूनी सलाह, प्रपत्रों में सहायता, और अदालत की कार्यवाही के लिए वकील शामिल हो सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5(घ), 9(1)(ग), 9(1)(घ), 10(1) और 12(1) |

20. क्या मैं भरण-पोषण या खर्चों के लिए धन मांग सकती हूँ?

हाँ।

अधिनियम के तहत आवेदन के माध्यम से, आप आर्थिक राहत मांग सकती हैं। इसमें घरेलू हिंसा से हुए खर्च और भरण-पोषण शामिल हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, तथ्यों के आधार पर, इसमें चिकित्सा खर्च, आय की हानि, संपत्ति को नुकसान, घरेलू खर्च, या आपके और आपके बच्चों के लिए भरण-पोषण शामिल हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1), 20 और 26 |

अध्याय 3
घरेलू नातेदारी और साझा गृह क्या हैं?

घरेलू हिंसा अधिनियम यह स्वीकार करता है कि व्यथित महिला को केवल हिंसा से ही नहीं, बल्कि अपनी साझी गृहस्थी और निवास से संबंधित संरक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है।

इस अध्याय में बताया गया है कि घरेलू नातेदारी क्या है, साझा गृह क्या है, और किन परिस्थितियों में आप साझे गृह में रहने या निवास से सम्बंधित अन्य अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट से सहायता माँग सकती हैं।

1. घरेलू नातेदारी क्या है?

घरेलू नातेदारी से आशय ऐसे संबंध से है, जिसमें दो व्यक्ति किसी साझी गृहस्थी में साथ रहते हैं या किसी भी समय साथ रह चुके हैं।

इसके साथ-साथ उनका संबंध निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर होना चाहिए—

- रक्त संबंध;
- विवाह;
- विवाह के समान संबंध;
- दत्तक ग्रहण; या
- संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में साथ रहना।

सरल शब्दों में, यह अधिनियम केवल वर्तमान वैवाहिक संबंधों पर ही लागू नहीं होता। यह कुछ पारिवारिक, घरेलू, दत्तक, संयुक्त परिवार या विवाह के समान संबंधों पर भी लागू हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्बंधित व्यक्ति वर्तमान में साझे गृह में साथ रहते हों, या किसी समय वहाँ साथ रह चुके हों।

सम्बंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 2(च)।

2. क्या घरेलू नातेदारी में रहे हुए माने जाने होने के लिए हमारा वर्तमान में साथ रहना आवश्यक है?

नहीं। यह अधिनियम तब भी लागू हो सकता है, यदि आप वर्तमान में साथ रहती हैं या किसी समय साझे गृह में साथ रह चुकी हैं, बशर्ते आपका संबंध अधिनियम के अंतर्गत आता हो।

यदि आपने हिंसा, धमकी, दबाव, भय या घर से निकाले जाने के कारण साझा गृह छोड़ दिया है, तो सहायता माँगते समय आप इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दे सकती हैं। मामले के तथ्यों के आधार पर, आप संरक्षण आदेश या निवास आदेश जैसे अनुतोषों की माँग कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 8: निवास आदेश*, देखें।

सम्बंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(क), 2(च), 2(ध), 17 और 19।

3. साझा गृह क्या है?

साझा गृह वह घर है, जहाँ व्यथित महिला प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहते हुए वर्तमान में रहती है या किसी भी समय रह चुकी है।

इसमें वह घर भी शामिल हो सकता है, जिसका स्वामित्व या किरायेदारी व्यथित महिला, प्रत्यर्थी या दोनों में से किसी के नाम हो। इसमें वह घर भी शामिल हो सकता है, जो ऐसे संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रत्यर्थी सदस्य हो।

साझा गृह केवल वही घर नहीं होता जो आपके नाम पर हो।

सम्बंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 2(ध)।

4. क्या किसी घर को साझा गृह मानने के लिए उसका स्वामित्व मेरे नाम होना आवश्यक है?

ऐसा आवश्यक नहीं हैं।

अधिनियम के अनुसार, घरेलू नातेदारी में रहने वाली प्रत्येक महिला को साझे गृह में रहने का अधिकार है, चाहे उस पर उसका कोई अधिकार, स्वामित्व या लाभकारी हित हो या न हो।

किसी विशेष घर को साझा गृह माना जाएगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और वर्तमान कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(ध) और 17।

5. क्या मेरे साथ घरेलू हिंसा होने के बाद भी मुझे साझी गृह में रहने का अधिकार है?

हाँ, घरेलू नातेदारी में रहने वाली प्रत्येक महिला को साझे गृह में रहने का अधिकार है।

यह अधिकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि घरेलू हिंसा में व्यथित महिला को घर से जबरन निकाल देना या उसे साझा गृह का उपयोग करने से रोकना भी शामिल हो सकता है।

सम्बंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 3 और 17।

6. क्या प्रत्यर्थी मुझे साझी गृहस्थी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है या उसमें प्रवेश करने से रोक सकता है?

अधिनियम के अनुसार, व्यथित महिला को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से साझे गृह से बेदखल नहीं किया जा सकता या उसे वहाँ रहने से वंचित नहीं किया जा सकता।

इसका अर्थ है कि, प्रत्यर्थी आपको केवल बल, धमकी या दबाव के आधार पर साझे गृह से नहीं निकाल सकता और न ही वहाँ रहने से रोक सकता है।

यदि आपको साझे गृह से निकाला जा रहा है, उसमें प्रवेश करने से रोका जा रहा है, या वहाँ आपके रहने में बाधा डाली जा रही है, तो आप मजिस्ट्रेट से यह अनुरोध कर सकती हैं की वे निवास आदेश को पारित करें।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 8: निवास आदेश*, देखें।

सम्बंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 17 और 19।

सुरक्षा सम्बन्धी नोट

यदि आपको साझे गृह से जबरन निकाल दिया गया है, या आपको आशंका है कि आपको निकाला जा सकता है, तो सुरक्षित होते ही सहायता लें।

निवास आदेश साझे गृह में रहने के आपके अधिकार की रक्षा करने या आवश्यकता होने पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने में सहायता कर सकता है। आपके मामले में कौन-सा आदेश उचित होगा, इसका निर्णय मजिस्ट्रेट करेंगे।

यदि साझे गृह लौटने से आपको तत्काल खतरा हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा-सम्बन्धी चिंताओं के बारे में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस, अपने वकील, विधिक सहायता प्राधिकरण या न्यायालय को अवश्य बताएँ।

यदि संपत्ति से सम्बंधित दस्तावेज़, किराये से सम्बंधित कागज़ात, पहचान-सम्बन्धी दस्तावेज़, संदेश या न्यायालय के दस्तावेज़ अपने पास रखना सुरक्षित न हो, तो उनकी प्रतियाँ किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

अध्याय 4
संरक्षण अधिकारी

संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नियुक्त सरकारी अधिकारी होते हैं, जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्राप्त करने और न्यायालय की प्रक्रिया तक पहुँचने में मदद करते हैं।

संरक्षण अधिकारी यह निर्णय नहीं लेते कि घरेलू हिंसा हुई है या नहीं। यह निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। संरक्षण अधिकारी का कार्य महिलाओं को अधिनियम के तहत उपलब्ध सेवाओं और कानूनी प्रक्रिया से जोड़ने तथा आवश्यक सहायता प्राप्त करने में उनकी मदद करना है।

1. संरक्षण अधिकारी क्या है?

संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नियुक्त सरकारी अधिकारी होता है।

संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को अदालत, विधिक सहायता, चिकित्सा उपचार, आश्रय और अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य सहायता तक पहुँचने में मदद करता है। संरक्षण अधिकारी कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट की भी सहायता करता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 2(ढ), 8 और 9; नियम 3, 8, 9 और 10 |

2. संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है?

संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।

राज्य सरकार यह भी तय करती है कि प्रत्येक संरक्षण अधिकारी किस क्षेत्र में काम करेगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 8; नियम 3 और 8 |

3. संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं?

अधिनियम और नियमों के तहत संरक्षण अधिकारी के कई महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- मजिस्ट्रेट की सहायता करना।
- शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना।
- रिपोर्ट की प्रतियाँ पुलिस और सेवा प्रदाताओं को भेजना।
- यदि आप अधिनियम के तहत राहत प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवेदन करने में आपकी सहायता करना।
- निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने में आपकी सहायता करना।
- सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधाओं की सूची उपलब्ध रखना।
- आवश्यकता होने पर आश्रय उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- यदि आपको शारीरिक चोट लगी है, तो चिकित्सीय परीक्षण कराने में सहायता करना।
- धनराशि संबंधी राहत के आदेशों के पालन और उनके क्रियान्वयन में सहायता करना।
- आपको आपके अधिकारों की जानकारी देना।
- आपकी सुरक्षा योजना बनाने में सहायता करना।
- आवश्यकता होने पर चिकित्सा सहायता, आश्रय और परिवहन की व्यवस्था कराने में सहायता करना।
- घरेलू हिंसा की शिकायत करने के कारण आपको प्रताड़ित या दबाव का शिकार होने से बचाने में सहायता करना।

यदि मजिस्ट्रेट लिखित निर्देश जारी करते हैं, तो संरक्षण अधिकारी को कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों का भी पालन करना होता है।

अधिक जानकारी के लिए *अध्याय 4: संरक्षण अधिकारी* देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 9;
नियमावली के नियम 5, 6, 8 और 10।

4. मैं अपने क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी को कैसे खोजूँ?

आप संरक्षण अधिकारी का संपर्क विवरण यहाँ से प्राप्त कर सकती हैं:

- स्थानीय पुलिस;
- मजिस्ट्रेट की अदालत;
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण;

- पंजीकृत सेवा प्रदाता;
- संबंधित राज्य या जिला महिला एवं बाल विकास या सामाजिक कल्याण कार्यालय।

यदि आप घरेलू हिंसा के बारे में पुलिस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट से संपर्क करती हैं, तो उन्हें आपको अधिनियम के तहत उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताना चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 5(ग), 8 और 9; नियम 4 और 8।

5. क्या अदालत जाने से पहले मुझे संरक्षण अधिकारी से संपर्क करना होगा?

नहीं।

अधिनियम मजिस्ट्रेट को आवेदन करने से पहले संरक्षण अधिकारी से संपर्क करना आवश्यक नहीं बनाता।

हालाँकि, कई महिलाओं को यह उपयोगी लगता है क्योंकि संरक्षण अधिकारी प्रक्रिया समझा सकता है और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में मदद कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 9 और 12।

6. संरक्षण अधिकारी मुझे किस प्रकार की सहायता दे सकता है?

आपकी परिस्थिति के अनुसार, संरक्षण अधिकारी निम्नलिखित प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है—

- घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करने में;
- मजिस्ट्रेट को आवेदन करने या आवेदन तैयार करने में मदद करने में;
- जहाँ उपलब्ध हो, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने में;
- यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करने में;
- आश्रय गृह खोजने में;
- उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी देने में;
- यह सुनिश्चित करने में कि अदालत के आदेश अधिनियम के अनुसार लागू किए जाएँ।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 9(1)(क)–(ज); नियम 8, 9 और 10।

7. क्या संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन करने में मेरी सहायता कर सकता है?

हाँ।

संरक्षण अधिकारी आपका आवेदन तैयार करने में सहायता कर सकता है और जहाँ अधिनियम अनुमति देता है, वहाँ आपकी ओर से मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन प्रस्तुत भी कर सकता है।

संरक्षण अधिकारी नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में भी सहायता कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 9(1)(ख) और 9(1)(ग), 12(1) और 37(2)(घ); नियम 6 और प्रपत्र II |

8. घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है?

घरेलू घटना रिपोर्ट, जिसे प्रायः डीआईआर (DIR) कहा जाता है, एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपके साथ हुई घरेलू हिंसा से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है।

शिकायत प्राप्त होने के बाद संरक्षण अधिकारी यह रिपोर्ट तैयार करता है। फिर आवश्यकता होने पर अधिनियम और नियमों के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को भेजी जा सकती है।

घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना जो हुआ उसे दर्ज करने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है, आपको तत्काल सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 2(ङ), 9(1)(ख) और 12(1); नियम 5 और प्रपत्र I |

9. क्या संरक्षण अधिकारी मुझे सुरक्षित रहने की जगह खोजने में मदद कर सकता है?

हाँ।

यदि आपको आश्रय चाहिए, तो संरक्षण अधिकारी अधिसूचित आश्रय गृह में आवास की व्यवस्था करने में मदद कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 6 और 9(1)(च); नियम 16 |

10. क्या संरक्षण अधिकारी मुझे निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने में मदद कर सकता है?

हाँ।

संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि जहाँ उचित हो, आपको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

आप निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं, यह लागू कानून और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5(घ) और 9(1)(घ) |

11. क्या संरक्षण अधिकारी अदालत में मेरा प्रतिनिधित्व करता है?

आवश्यक नहीं।

संरक्षण अधिकारी आपका आवेदन तैयार करने में सहायता कर सकता है, मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकता है, और अधिनियम के तहत कर्तव्य निभा सकता है।

अधिनियम यह नहीं कहता कि संरक्षण अधिकारी आपका वकील बन जाता है या हर अदालत की कार्यवाही में आपका प्रतिनिधित्व करता है।

यदि आपको कानूनी प्रतिनिधित्व चाहिए, तो आप वकील से बात कर सकती हैं या पूछ सकती हैं कि क्या आप निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 5(घ), 9 और 12 |

12. क्या संरक्षण अधिकारी मुझसे उस व्यक्ति के पास लौटने को कह सकता है जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया?

अधिनियम संरक्षण अधिकारी को यह शक्ति नहीं देता कि वह आपको प्रत्यर्थी के पास लौटने या प्रत्यर्थी के साथ रहना जारी रखने के लिए बाध्य करे।

संरक्षण अधिकारी की भूमिका अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचारों और सहायता तक पहुँचने में आपकी मदद करना है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 8 और 9.

13. यदि मुझे तत्काल सहायता चाहिए तो क्या होगा?

यदि आपको लगता है कि आप तत्काल खतरे में हैं या आपको तत्काल चिकित्सा उपचार, आश्रय या अदालत का संरक्षण चाहिए, तो संरक्षण अधिकारी को बताएं।

आपकी परिस्थिति के आधार पर, संरक्षण अधिकारी चिकित्सा देखभाल, आश्रय, विधिक सहायता की व्यवस्था करने या उपयुक्त राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करने में आपकी सहायता कर सकता है।

यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो आपको पुलिस या आपात सेवाओं से भी संपर्क करना चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 6, 7, 9 और 23 |

14. यदि मेरे रहने के स्थान पर कोई संरक्षण अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा?

अधिनियम राज्य सरकार से संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की अपेक्षा करता है।

यदि आप किसी संरक्षण अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकतीं, तो भी आप पुलिस, पंजीकृत सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, आश्रय गृह या चिकित्सा सुविधा से सहायता मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधनियिम की धाराएँ 5, 6, 7, 8, 10 और 12 |

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि आपको डर है कि संरक्षण अधिकारी से संपर्क करने से आपका जोखिम बढ़ सकता है, तो संभव हो तो सुरक्षित स्थान से संपर्क करने का प्रयास करें। यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो अन्य कदमों की प्रतीक्षा किए बिना पुलिस या आपात सेवाओं से संपर्क करें। यदि कागजात, रिपोर्ट या अदालत के दस्तावेज अपने पास रखना असुरक्षित है, तो उन्हें किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

अध्याय 5
सेवा प्रदाता, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएँ

यदि आप घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं, तो आपको इसका सामना अकेले नहीं करना है। संरक्षण अधिकारियों के अलावा, कानून पंजीकृत सेवा प्रदाताओं, अधिसूचित आश्रय गृहों और अधिसूचित चिकित्सा सुविधाओं को भी मान्यता देता है, जो आपको सहायता, सुरक्षा और अदालत की प्रक्रिया तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं।

इन संगठनों की भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं। कुछ व्यावहारिक सहायता देते हैं, जबकि अन्य आश्रय, चिकित्सा उपचार, या मजिस्ट्रेट अथवा अन्य प्राधिकारियों से संपर्क कराने में मदद करते हैं।

1. सेवा प्रदाता क्या है?

सेवा प्रदाता वह संगठन है जिसे घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं की सहायता के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।

सेवा प्रदाता कोई स्वैच्छिक संगठन या कंपनी हो सकती है जो महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए काम करती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधनियिम की धारा 2(द) और धारा 10(1); नियम 11 |

2. सेवा प्रदाता मुझे किस प्रकार की सहायता दे सकता है?

सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के आधार पर, पंजीकृत सेवा प्रदाता निम्नलिखित प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है:

- जो हुआ उसे दर्ज करने में;
- यदि आप कहें तो घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करने में;
- चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में;
- आश्रय खोजने में;

- आपको संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता या अन्य सहायता सेवाओं से जोड़ने में।

कुछ सेवा प्रदाता, संगठन के अनुसार, परामर्श या अन्य सहायता भी दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 10(1), 10(2)(क)–(ग) और 10(3) |

3. क्या सेवा प्रदाता अदालत में आवेदन करने में मेरी मदद कर सकता है?

हाँ।

सेवा प्रदाता आपको प्रक्रिया समझने में मदद कर सकता है और आपको संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट से जोड़ सकता है।

जहाँ उचित हो, अधिनियम सेवा प्रदाता को आपकी ओर से मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति भी देता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 10(2)(क), 12(1) और 37(2)(घ); नियम 6 |

4. क्या सेवा प्रदाता घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार कर सकता है?

हाँ।

यदि आप कहें, तो पंजीकृत सेवा प्रदाता घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है और उसे मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को भेज सकता है।

इस रिपोर्ट में आपके साथ हुई घरेलू हिंसा की जानकारी दर्ज की जाती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 2(ङ) और 10(2)(क); नियम 5 और प्रपत्र I |

5. क्या अदालत जाने से पहले मुझे सेवा प्रदाता के माध्यम से ही जाना होगा?

नहीं।

यदि आप चाहें तो सीधे मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती हैं।

सेवा प्रदाता सहायता पाने का एक तरीका है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है।

संबंधति कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 12(1) |

6. आश्रय गृह क्या है?

आश्रय गृह वह आश्रय है जिसे राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अधिसूचित किया है।

यदि किसी महिला को सुरक्षित स्थान पर रहने की आवश्यकता हो, तो आश्रय गृह उसे अस्थायी आवास उपलब्ध करा सकता है |

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(न) और 6;
नियम 16 |

7. यदि मैं घर पर सुरक्षित नहीं हूँ तो क्या मैं आश्रय मांग सकती हूँ?

हाँ।

यदि आपको रहने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए, तो आप आश्रय मांग सकती हैं।

यदि आप स्वयं अनुरोध करती हैं, या आपकी ओर से संरक्षण अधिकारी या पंजीकृत सेवा प्रदाता अनुरोध करता है, तो अधिसूचित आश्रय गृह के आपको आश्रय देना होगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 6; नियम 16 |

8. क्या आश्रय गृह में रहने से पहले मुझे अदालत का आदेश चाहिए?

धारा 6 के अंतर्गत आश्रय प्राप्त करने के लिए आपको पहले न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

यदि आपको तत्काल सुरक्षा चाहिए, तो आपको जल्द से जल्द संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को बताना चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 6 |

9. क्या कोई और मेरी ओर से आश्रय मांग सकता है?

हाँ।

यदि आपको आवश्यकता हो, तो संरक्षण अधिकारी या पंजीकृत सेवा प्रदाता आपके लिए आश्रय का अनुरोध कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 6 |

10. अधिनियम के तहत चिकित्सा सुविधा क्या है?

चिकित्सा सुविधा से अभिप्राय ऐसे अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान से है, जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 2(ञ) और धारा 7; नियम 17 |

11. यदि मुझे चोट लगी है तो क्या मुझे चिकित्सा उपचार मिल सकता है?

हाँ।

यदि आप चिकित्सा सहायता मांगती हैं, या संरक्षण अधिकारी या पंजीकृत सेवा प्रदाता आपकी ओर से अनुरोध करता है, तो अधिसूचित चिकित्सा सुविधा के प्रभारी व्यक्ति को चिकित्सा सहायता देनी होगी।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 7; नियम 17 |

12. यदि मैंने अभी अदालत में मामला दाखिल नहीं किया है, तब भी क्या मुझे चिकित्सा सहायता मिल सकती है?

हाँ।

धारा 7 के अंतर्गत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से पहले न्यायालयीन कार्यवाही प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं है।

यदि आपको तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, तो आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 7 |

13. क्या डॉक्टर या अस्पताल चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करेगा?

अधिनियम के अनुसार, आवश्यकता होने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अधिनियम में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि चिकित्सीय रिपोर्ट किस प्रकार तैयार की जाएगी या न्यायालय में उसका उपयोग कैसे किया जाएगा।

यदि आपका उपचार किया जाता है, तो अस्पताल द्वारा तैयार किए गए चिकित्सीय अभिलेख (मेडिकल रिकॉर्ड) भविष्य में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम आ सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 7 |

14. क्या मुझे आश्रय या चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करना होगा?

घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार, यदि विधिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, तो अधिसूचित आश्रय गृह आश्रय उपलब्ध कराने और अधिसूचित चिकित्सा सुविधाएँ चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

हालाँकि, अधिनियम और नियमों में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि प्रत्येक स्थिति में इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क देय होगा या नहीं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 6 और 7 |

15. क्या मुझे सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी दोनों से सहायता मिल सकती है?

हाँ।

आपको केवल एक को चुनना आवश्यक नहीं है।

कई महिलाओं को एक से अधिक संस्था या प्राधिकरण से सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, कोई सेवा प्रदाता आपके साथ हुई घटना का विवरण दर्ज करने और आपके लिए आश्रय की व्यवस्था करने में सहायता कर सकता है, जबकि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन को तैयार करने में आपकी सहायता कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 9, 10 और 12 |

16. यदि मेरे पास कोई पंजीकृत सेवा प्रदाता या अधिसूचित आश्रय गृह नहीं है तो क्या होगा?

आप फिर भी सहायता मांग सकती हैं।

आप पुलिस, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, चिकित्सा सुविधा या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

वे निकटतम उपलब्ध सेवाएँ खोजने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की
धाराएँ 5, 6, 7, 9, 10 और 12 |

17. क्या मैं एक ही समय में आश्रय और चिकित्सा उपचार दोनों मांग सकती हूँ?

हाँ।

यदि आपको रहने के लिए सुरक्षित स्थान और चिकित्सा उपचार दोनों की आवश्यकता है, तो आप दोनों मांग सकती हैं।

आपकी परिस्थिति के आधार पर, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता दोनों प्रकार की सहायता की व्यवस्था करने में मदद कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 6, 7, 9(1)(च), 9(1)(छ),
10(2)(ख) और 10(2)(ग) |

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि आप घायल हैं या आपको लगता है कि आप तत्काल खतरे में हैं, तो सुरक्षित होते ही चिकित्सा सहायता लें या पुलिस से संपर्क करें। यदि संभव हो, तो डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी को बताएं कि चोटें कैसे लगीं। यदि घर लौटना असुरक्षित है, तो पूछें कि क्या संरक्षण अधिकारी या पंजीकृत सेवा प्रदाता आश्रय की व्यवस्था में सहायता कर सकता है। यदि चिकित्सा कागजात या अन्य दस्तावेज अपने पास रखना असुरक्षित है, तो उनकी प्रतियाँ किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

अध्याय 6

मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना

यदि आप चाहती / चाहतें हैं कि अदालत घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कोई आदेश जारी करे, तो आप एक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकती / सकते हैं।

आपको यह प्रक्रिया अकेले नहीं करनी है। एक संरक्षण अधिकारी, पंजीकृत सेवा प्रदाता, वकील, या विधिक सेवा प्राधिकरण - आवेदन तैयार करने और दाखिल कराने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करने से अदालत यह विचार कर सकती हैं कि क्या आपको अधिनियम के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए या कोई अन्य राहत |

1. मजिस्ट्रेट कौन होता है?

मजिस्ट्रेट वह न्यायिक अधिकारी है जो घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई करता है।

मजिस्ट्रेट आपके मामले पर विचार करके ये तय कर सकता है कि आपकी रहत के लिए एक या अधिक आदेश जारी किये जाये या नहीं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(झ), 12, और 18–23।

2. मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कौन कर सकता है?

आवेदन इनमें से कोई भी कर सकता है:

- आप;
- एक संरक्षण अधिकारी; या
- आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति।

अर्थात, अगर किसी कारण से आप आवेदन नहीं कर पा रहीं हैं या डर रही हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया शुरू करने में आपकी मदद कर सकता है। अतः स्वयं आवेदन करना ज़रूरी नहीं हैं

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 12(1)

3. क्या आवेदन करने के लिए मुझे वकील की ज़रूरत है?

आवेदन करने से पहले वकील रखना ज़रूरी नहीं हैं।

हालाँकि, कानूनी सलाह लेना सहायक हो सकता है, विशेषकर यदि आपका मामला तत्काल है, या बच्चों, संपत्ति, भरण-पोषण, या अन्य न्यायिक कार्यवाहियों से जुड़ा है।

4. यदि मुझे वकील रखना पढ़ें, तो संरक्षण अधिकारी मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं?

यदि आप निःशुल्क विधिक सहायता (जैसे कि कानूनी सलाह, वकील की सेवा, आदि) प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। वह सुनिश्चित करेगा कि आपको यह सहायता मिले।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की
धाराएँ 5(घ), 9(1)(घ), 9(1)(ङ), और 12(1)

5. क्या आवेदन करने के लिए कोई प्रपत्र / फॉर्म है?

हाँ।

इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नियमों में एक निर्धारित प्रपत्र / फॉर्म दिया गया है।

यदि आवश्यकता हो, तो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता उसे भरने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 37(2)(ज);
नियम 6 तथा प्रपत्र II ।

6. मैं मजिस्ट्रेट से किन प्रकारों कि राहत/अनुतोषों का आवेदन कर सकती हूँ?

इस अधिनियम के तहत, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, एक या अधिक प्रकार के अनुतोष (राहत) की माँग कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- संरक्षण आदेश;
- निवास आदेश;
- धनीय अनुतोष;
- अभिरक्षा आदेश;

- प्रतिकर आदेश; या
- जहाँ आवश्यक हो, अंतरिम या तात्कालिक आदेश।

आपके द्वारा माँगे गए अनुतोष के लिए अधिनियम में निर्धारित कानूनी आवश्यकताएँ पूरी हुई हैं या नहीं, इसका निर्णय मजिस्ट्रेट करेंगे.

आप एक ही आवेदन में एक या अधिक प्रकार के अनुतोष की माँग कर सकती हैं। अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 12(1), 18 -23 तथा 26।

7. क्या आवेदन करने से पहले घरेलू घटना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है?

नहीं |

यदि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा घरेलू घटना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी गई है, तो मजिस्ट्रेट उस पर विचार करेंगे।

लेकिन इस अधिनियम में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि घरेलू घटना रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना आप आवेदन नहीं कर सकतीं.

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 2(ङ), 9(1)(ख), 10(2)(क) तथा 12(1)।

8. मुझे न्यायालय को क्या जानकारी देनी चाहिए?

आप जितना स्पष्ट बता सकें, उतना स्पष्ट बताएँ—

- क्या हुआ;
- घरेलू हिंसा किसने की;
- यदि आपको जानकारी हो, तो यह कब हुई; तथा
- आप न्यायालय से किस प्रकार के अनुतोष की माँग कर रही हैं।

यदि आपके पास आवेदन के समर्थन में कोई दस्तावेज़, फ़ोटोग्राफ़, संदेश, चिकित्सीय अभिलेख या अन्य जानकारी हो, तो उन्हें आवेदन के साथ प्रस्तुत कर सकती हैं। हालाँकि, ऐसे साक्ष्य सभी के पास उपलब्ध हों, यह आवश्यक नहीं है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 12(1); नियम 6 तथा प्रपत्र II ।

9. यदि मेरे पास दस्तावेज़ या साक्ष्य नहीं हैं, तो क्या मैं फिर भी आवेदन कर सकती हूँ?

हाँ।

केवल इस कारण कि आपके पास दस्तावेज़ या साक्ष्य नहीं हैं, आपको सहायता माँगने में देरी नहीं करनी चाहिए।

आप अपने आवेदन में जो कुछ हुआ, उसका विवरण दे सकती हैं।

यदि बाद में आपको दस्तावेज़ या अन्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 12; नियम 6।

10. मेरे आवेदन की सुनवाई कौन-सा मजिस्ट्रेट कर सकता है?

आप अपना आवेदन उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके स्थानीय अधिकार-क्षेत्र में:

- आप स्थायी या अस्थायी रूप से रहती हैं;
- प्रत्यर्थी रहता है; या
- जहाँ घरेलू हिंसा होने का अभिकथन किया गया है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 27।

11. क्या मजिस्ट्रेट मेरे मामले की शीघ्र सुनवाई करेंगे?

अधिनियम के अनुसार, मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर, यथासंभव, पहली सुनवाई की तिथि नियत करनी चाहिए।

यह समय-सीमा अधिनियम में निर्धारित है। वास्तविक सुनवाई की तिथि न्यायालय की कार्यप्रणाली तथा स्थानीय व्यवस्था के अनुसार भिन्न हो सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 12 (4)।

12. मेरे मामले का निर्णय होने में कितना समय लग सकता है?

अधिनियम के अनुसार, मजिस्ट्रेट को पहली सुनवाई की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर, यथासंभव, आवेदन का निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए।

वास्तविक समय-सीमा न्यायालय, मामले के तथ्यों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 12 (5)।

13. क्या मेरा मामला चलने के दौरान मैं तत्काल सहायता माँग सकती हूँ?

हाँ।

यदि आपको तत्काल संरक्षण या किसी अन्य प्रकार के तत्काल अनुतोष की आवश्यकता है, तो आप मजिस्ट्रेट से अंतरिम आदेश या, जहाँ अधिनियम की आवश्यक शर्तें पूरी होती हों, एकपक्षीय आदेश देने का अनुरोध कर सकती हैं।

ये अस्थायी आदेश हैं, जो मामले का अंतिम निर्णय होने से पहले भी दिए जा सकते हैं।

यदि अधिनियम में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो ऐसा अनुतोष प्रदान करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 12: तात्कालिक आदेश: अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 23;
नियम 7 तथा प्रपत्र III ।

14. क्या प्रत्यर्थी को मेरे आवेदन की प्रति मिलेगी?

हाँ।

संरक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सुनवाई की तिथि की सूचना प्रत्यर्थी तथा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति को तामील कराई जाए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 13; नियम 12।

15. यदि किसी अन्य न्यायालय में मेरा मामला पहले से चल रहा है, तो क्या मैं इस अधिनियम के तहत भी अनुतोष माँग सकती हूँ?

हाँ।

इस अधिनियम के तहत उपलब्ध अनुतोष अन्य कानूनी उपायों के अतिरिक्त हैं।

जहाँ कानून इसकी अनुमति देता है, वहाँ आप सिविल न्यायालय, परिवार न्यायालय या आपराधिक न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान भी इस अधिनियम के तहत अनुतोष की माँग कर सकती हैं।

यदि उन्हीं पक्षकारों के बीच कोई अन्य मामला पहले से लंबित है, तो आपको न्यायालय को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 26 तथा 36।

16. आवेदन प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा?

आपका आवेदन प्राप्त होने के बाद, मजिस्ट्रेट सुनवाई की तिथि नियत करेंगे।

सामान्यतः, प्रत्यर्थी को सुनवाई की सूचना दी जाएगी। इसके बाद न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करेगा और यह निर्णय करेगा कि कोई अनुतोष दिया जाना चाहिए या नहीं।

यदि आपने तत्काल अनुतोष की माँग की है, तो अंतिम निर्णय से पहले मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश या, जहाँ अधिनियम की आवश्यक शर्तें पूरी होती हों, एकपक्षीय आदेश देने पर भी विचार कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 12, 13 तथा 23।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि आपको लगता है कि आप तत्काल खतरे में हैं, तो यथाशीघ्र संरक्षण अधिकारी, अपने वकील या न्यायालय को इसकी जानकारी दें।

जब तक आपका आवेदन लंबित है, तब तक आप अंतरिम या एकपक्षीय आदेश के रूप में तत्काल अनुतोष की माँग कर सकती हैं।

यदि न्यायालय में उपस्थित होने या न्यायालय से संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त करने से आपकी सुरक्षा को अधिक खतरा हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में संरक्षण अधिकारी, अपने वकील या सेवा प्रदाता से चर्चा करें.

अध्याय 7
संरक्षण आदेश

संरक्षण आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रमुख अनुतोषों में से एक है।

इसका उद्देश्य आगे घरेलू हिंसा को दोबारा होने से रोकना है। संरक्षण आदेश के माध्यम से मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को ऐसे कुछ कार्य करने से रोक सकते हैं, जिनसे आपको या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या खतरा हो सकता है।

मजिस्ट्रेट आपके मामले के तथ्यों और उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यह तय करेंगे कि संरक्षण आदेश दिया जाए या नहीं।

1. संरक्षण आदेश क्या है?

संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया ऐसा आदेश है, जिसका उद्देश्य व्यथित महिला को दोबारा होने वाली घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करना है।

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, तो वे प्रत्यर्थी को अधिनियम में वर्णित कुछ कृत्य करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 18।

2. मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश कब दे सकते हैं?

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, तो वे संरक्षण आदेश दे सकते हैं।

संरक्षण आदेश दिया जाएगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 18।

3. संरक्षण आदेश प्रत्यर्थी को क्या करने से प्रतिबंधित कर सकता है?

आपके मामले की परिस्थितियों के अनुसार, संरक्षण आदेश प्रत्यर्थी को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिबंधित कर सकता है:

- घरेलू हिंसा करने से;
- किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से या उसके माध्यम से घरेलू हिंसा करने से;

- आपके कार्यस्थल या किसी अन्य स्थान में प्रवेश करने से, जहाँ आप नियमित रूप से जाती हैं;
- आपके बच्चे के विद्यालय या किसी अन्य स्थान में प्रवेश करने से, जहाँ बच्चा नियमित रूप से जाता है;
- आपसे संपर्क करने या संवाद करने से;
- मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसी संपत्ति, बैंक लॉकर, बैंक खाते या अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित लेन-देन करने से, जिनका उपयोग करने का आपको अधिकार है, जिसमें आपका स्त्रीधन भी शामिल है;
- आपके रिश्तेदारों या आपकी सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा करने से;
- संरक्षण आदेश में बताए गए किसी अन्य कार्य को करने से।

मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि आपके मामले में कौन-कौन से प्रतिबंध आवश्यक और उचित हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 18(क)–(छ)।

4. क्या संरक्षण आदेश मेरे बच्चे, रिश्तेदारों या मेरी सहायता करने वाले व्यक्तियों की भी सुरक्षा कर सकता है?

हाँ। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आपके बच्चे के विद्यालय या किसी अन्य स्थान में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, जहाँ बच्चा नियमित रूप से जाता है।

मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आपके रिश्तेदारों या आपकी सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा करने से भी प्रतिबंधित कर सकते हैं।

बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा पाने के लिए आप अभिरक्षा आदेश की भी माँग कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 10: अभिरक्षा आदेश*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 18(ग), 18(च) और 21।

5. क्या संरक्षण आदेश प्रत्यर्थी को मेरी संपत्ति से संबंधित लेन-देन करने से प्रतिबंधित कर सकता है?

हाँ। संरक्षण आदेश पारित करके मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आपकी संपत्ति से संबंधित लेन-देन करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 18(ङ)।

6. क्या घर छोड़ने के बाद भी मैं संरक्षण आदेश की माँग कर सकती हूँ?

हाँ। यदि आपने घरेलू हिंसा के कारण घर छोड़ दिया है, तो भी आप संरक्षण आदेश के लिए आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते कानूनी आवश्यकताएँ पूरी हों।

मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश प्रदान करेंगे या नहीं, यह आपके मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 2(क), 2(च), 12 और 18।

7. क्या मैं संरक्षण आदेश के साथ अन्य प्रकार की राहत भी माँग सकती हूँ?

हाँ। आप एक ही आवेदन में एक से अधिक अनुतोष की माँग कर सकती हैं।

आप संरक्षण आदेश के साथ-साथ अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य अनुतोषों जैसे, निवास आदेश, आर्थिक सहायता, अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर की भी माँग कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 12(1), 18-23 और 26।

8. क्या मजिस्ट्रेट तत्काल संरक्षण आदेश दे सकते हैं?

हाँ। परिस्थिति अनुसार आप तत्काल संरक्षण आदेश के अनुतोष की माँग कर सकती हैं।

यदि कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो मजिस्ट्रेट मामले की कार्यवाही के दौरान अंतरिम या एकपक्षीय आदेश पारित कर सकते हैं।

ऐसा आदेश दिया जाएगा या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करेगा।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 12: तात्कालिक आदेश – अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 23।

9. संरक्षण आदेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? क्या इसे बाद में बदला जा सकता है?

धारा 18 के तहत दिया गया संरक्षण आदेश तब तक प्रभावी रहता है, जब तक व्यथित महिला स्वयं उसे समाप्त करने के लिए आवेदन नहीं करती।

यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों कि आदेश में परिवर्तन आवश्यक है, तो वे आदेश में बदलाव, संशोधन या उसे निरस्त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 13: निःशुल्क प्रतियां, अवधि, परिवर्तन, और आदेशों का प्रवर्तन*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधनियिम की धारा 25(1) और 25(2)।

10. यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता, तो क्या होगा?

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 15: संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32।

11. क्या मुझे संरक्षण आदेश की प्रति मिलेगी?

हाँ।

अधिनियम के तहत दिए गए आदेशों की निःशुल्क प्रतियाँ संबंधित पक्षकारों, उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को जिसके अधिकार-क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से संपर्क किया गया है, तथा जहाँ लागू हो, घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करने वाले सेवा प्रदाता को भी दी जानी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

12. क्या पुलिस को संरक्षण आदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए?

हाँ।

अधिनियम के अनुसार, आदेशों की प्रतियाँ संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि संरक्षण आदेश दिया गया है और आपको लगता है कि प्रत्यर्थी ने उसका उल्लंघन किया है, या आपको तत्काल खतरा है, तो सुरक्षित होते ही पुलिस से संपर्क करें।

यदि संभव हो, तो संरक्षण आदेश की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और दूसरी प्रति किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

संरक्षण आदेश का उद्देश्य आगे होने वाली घरेलू हिंसा के जोखिम को कम करना है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यावहारिक सावधानियाँ बरतते रहना भी महत्वपूर्ण है।

अध्याय 8
निवास आदेश

घरेलू हिंसा अधिनियम यह स्वीकार करता है कि व्यथित महिला को हिंसा से संरक्षण के साथ-साथ साझी गृहस्थी में उसके निवास से संबंधित संरक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है।

कुछ परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट निवास आदेश पारित कर सकते हैं। निवास आदेश यह निर्धारित करता है कि आप कहाँ रह सकती हैं, साझे गृह में रहने के आपके अधिकार की रक्षा कैसे की जाएगी, या आवश्यकता होने पर वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कैसे होगी।

निवास आदेश दिया जाएगा या नहीं, यह आपके मामले के तथ्यों और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करेगा।

1. निवास आदेश क्या है?

निवास आदेश वह आदेश है, जो मजिस्ट्रेट साझे गृह या आपके रहने की व्यवस्था के संबंध में पारित करते हैं।

मजिस्ट्रेट आपके मामले की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निवास आदेश दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 17 और 19।

2. निवास आदेश से मुझे क्या सहायता मिल सकती है?

मामले की परिस्थितियों के अनुसार, मजिस्ट्रेट—

- प्रत्यर्थी को आपको साझे गृह से बेदखल करने या आपके कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोक सकते हैं;
- प्रत्यर्थी को साझा गृह छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं;
- प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को साझे गृह के उस भाग में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, जहाँ आप रहती हैं;
- प्रत्यर्थी को साझे गृह को बेचने, स्थानांतरित करने या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार का लेन-देन करने से रोक सकते हैं;
- प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना साझे गृह में अपनी हिस्सेदारी या अन्य अधिकार छोड़ने से रोक सकते हैं;

- प्रत्यर्थी को आपके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने या उसके लिए उपयुक्त किराया देने का निर्देश दे सकते हैं।

मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि आपके मामले में इनमें से कौन-से आदेश आवश्यक और उचित हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 19(1)(क)–(च)।

3. क्या मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को साझा गृह छोड़ने का आदेश दे सकते हैं?

हाँ। मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को साझा गृह छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं।

हालाँकि, अधिनियम के अनुसार ऐसा आदेश किसी महिला के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(1)(ख) तथा 19(1) का परंतुक।

4. क्या मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घर के किसी भाग में प्रवेश करने से रोक सकते हैं?

हाँ। मामले की परिस्थितियों के अनुसार, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी या उसके किसी रिश्तेदार को साझे गृह के उस भाग में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, जहाँ आप रहती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 19(1)(ग)।

5. क्या मजिस्ट्रेट साझे गृह को बेचे जाने या हस्तांतरित किए जाने से रोक सकते हैं?

हाँ। मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को ऐसा करने से रोक सकते हैं। वे प्रत्यर्थी को उनकी अनुमति के बिना साझे गृह में अपने अधिकारों का परित्याग करने से भी रोक सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 19(1)(घ) और 19(1)(ङ)।

6. क्या न्यायलय-द्वारा मेरे रहने के लिए कोई अन्य स्थान देने का आदेश दिया जा सकता है?

हाँ। मजिस्ट्रेट, अन्य निवास आदेशों के स्थान पर या उनके अतिरिक्त, परिस्थितियों के अनुसार प्रत्यर्थी को आपके लिए उसी स्तर के वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने या उसके लिए उपयुक्त किराया देने का निर्देश दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 19(1)(च)।

7. क्या निवास आदेश मांगने के लिए घर का मालिक होना आवश्यक है?

नहीं।

अधिनियम साझा गृह में रहने के आपके अधिकार को मान्यता देता है, भले ही संपत्ति आपकी न हो या स्वामित्व दस्तावेजों में आपका नाम न हो।

मजिस्ट्रेट निवास आदेश देगा या नहीं, यह आपके मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(s), 17 और 19।

8. क्या निवास आदेश की माँग करने के लिए घर का स्वामित्व मेरे नाम होना आवश्यक है?

नहीं।

अधिनियम आपको साझे गृह में रहने का अधिकार देता है, भले ही उस संपत्ति का स्वामित्व आपके नाम न हो या आपके नाम पर स्वामित्व-संबंधी दस्तावेज़ न हों।

निवास आदेश दिया जाएगा या नहीं, यह आपके मामले के तथ्यों और मजिस्ट्रेट के के विवेक पर निर्भर करेगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(ध), 17 और 19।

9. क्या मैं घर छोड़ने के बाद भी निवास आदेश की माँग कर सकती हूँ?

हाँ। यदि आपने घरेलू हिंसा के कारण या आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के कारण साझा गृह छोड़ दिया है, तो भी आप निवास आदेश के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इसके लिए, मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि क्या कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी हुई हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की
धाराएँ 2(क), 2(ध), 12, 17 और 19।

10. क्या मैं अन्य अनुतोषों के साथ निवास आदेश मांग सकती हूँ?

हाँ। आप अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य अनुतोषों के साथ निवास आदेश मांग सकती हैं, जैसे:

- संरक्षण आदेश;
- धनीय अनुतोष;
- अभिरक्षा आदेश;
- प्रतिकर आदेश; या
- अंतरिम या तत्काल आदेश।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की
धाराएँ 12(1), 18–23 और 26।

11. क्या मजिस्ट्रेट तत्काल निवास आदेश दे दे सकते हैं?

हाँ। यदि कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो मजिस्ट्रेट मामले की कार्यवाही के दौरान अंतरिम या एकपक्षीय निवास आदेश पारित कर सकते हैं।

ऐसा आदेश दिया जाएगा या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करेगा।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 12: तात्कालिक आदेश – अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 23।

12. क्या मजिस्ट्रेट का आदेश मेरी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है?

हाँ। निवास आदेश पारित करते समय, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आपका स्त्रीधन या ऐसी अन्य संपत्ति, दस्तावेज़ या मूल्यवान वस्तुएँ, जिन पर आपका अधिकार है, आपको लौटाने का निर्देश दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 19(8)।

13. क्या मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को भविष्य में घरेलू हिंसा रोकने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश दे सकते हैं?

हाँ। निवास आदेश पारित करते समय, मजिस्ट्रेट भविष्य में घरेलू हिंसा रोकने के लिए प्रत्यर्थी से जमानतदारों के साथ या उनके बिना बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 19(3) और 19(4)।

14. क्या मजिस्ट्रेट निवास आदेश के पालन में सहायता के लिए पुलिस को निर्देश दे सकते हैं?

हाँ। मजिस्ट्रेट निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को निवास आदेश के पालन में सहायता करने और आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 19(5)।

15. क्या मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी से सहायता लेने का निर्देश दे सकते हैं?

हाँ। मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को निवास आदेश के पालन में सहायता करने का निर्देश दे सकते हैं।

जहाँ उचित हो, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को व्यथित महिला को आश्रय देने वाले व्यक्ति या संस्था को किराया या अन्य देय राशि सीधे अदा करने का निर्देश भी दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(6) और 19(7)।

16. क्या निवास आदेश बाद में बदला जा सकता है?

हाँ। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो व्यथित महिला या प्रत्यर्थी मजिस्ट्रेट के समक्ष आदेश में बदलाव, संशोधन या उसे निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों कि ऐसा परिवर्तन आवश्यक है, तो वे अधिनियम के तहत दिए गए आदेश में बदलाव, संशोधन या उसे निरस्त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 13: निःशुल्क प्रतियां, अवधि, परिवर्तन और आदेशों का प्रवर्तन*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25(2)।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि आपको साझे गृह से जबरन निकाला गया है या आपको आशंका है कि आपको निकाला जा सकता है, तो सुरक्षित होते ही सहायता लें।

निवास आदेश साझे गृह में रहने के आपके अधिकार की रक्षा करने या आवश्यकता होने पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने में सहायता कर सकता है। आपके मामले में कौन-सा आदेश उचित होगा, इसका निर्णय मजिस्ट्रेट करेंगे।

यदि साझे गृह लौटने से आपको तत्काल खतरा हो, तो अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में संरक्षण अधिकारी, अपने वकील या न्यायालय को अवश्य बताएँ।

अध्याय 9
धनीय राहत

घरेलू हिंसा केवल आपकी सुरक्षा को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह आपके जीवन-यापन की क्षमता पर भी असर डाल सकती है। इससे भोजन, आवास, चिकित्सीय देखभाल, बच्चों की ज़रूरतें और रोज़मर्रा के खर्च पूरे करना कठिन हो सकता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि वह प्रत्यर्थी को आदेश दे कि वह घरेलू हिंसा से उत्पन्न कुछ खर्चों या नुक़सान की भरपाई के लिए धनराशि अदा करे। इसे धनीय राहत कहा जाता है।

धनीय राहत की राशि और प्रकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और मजिस्ट्रेट के निर्णय पर निर्भर करता है।

1. धनीय राहत क्या है?

धनीय राहत वह धनराशि है जिसे मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कारण होने वाले खर्चों और नुकसान का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से उत्पन्न होने वाली वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(1)।

2. धनीय राहत में किस प्रकार के खर्च शामिल हो सकते हैं?

आपकी स्थिति के आधार पर, धनीय राहत में शामिल हो सकते हैं:

- आय की हानि;
- चिकित्सा व्यय;
- आपके नियंत्रण में रही संपत्ति के नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने या हटाए जाने से हुई हानि;
- आपके और आपके बच्चों के लिए भरण-पोषण।

मजिस्ट्रेट तय करेगा कि आपके मामले में कौन सी राहत उचित है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(1)(क)-(घ)।

3. क्या मैं इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हूं?

हाँ।

मजिस्ट्रेट धनीय राहत के हिस्से के रूप में आपके और आपके बच्चों के लिए रखरखाव का आदेश दे सकता है।

यह भरण-पोषण, अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध किसी भी भरण-पोषण के अतिरिक्त भी दिया जा सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 20(1)(घ), 20(2), 26 और 36।

4. क्या मैं चिकित्सा उपचार के लिए पैसे मांग सकती हूं?

हाँ।

यदि आपने घरेलू हिंसा के कारण चिकित्सा पर खर्च किया है, तो आप मजिस्ट्रेट से उन खर्चों को धनीय राहत में शामिल करने के लिए कह सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(1)(ख)।

5. क्या मैं घरेलू हिंसा के कारण काम न कर पाने के लिए धनराशि की मांग कर सकती हूँ?

यदि आपको घरेलू हिंसा के कारण कमाई का नुकसान हुआ है, तो आप मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकती हैं कि धनीय राहत तय करते समय इस आय की हानि को ध्यान में रखा जाए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(1)(क)।

6. क्या मैं अपने सामान के क्षतिग्रस्त होने या ले जाए जाने पर धनराशि की मांग कर सकती हूँ?

हाँ।

मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के कारण संपत्ति के नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने या आपके नियंत्रण से हटाए जाने से हुए नुकसान के लिए धनीय राहत का आदेश दे सकता है।

अधिनियम उपयुक्त मामलों में संपत्ति और स्त्रीधन से संबंधित अन्य उपाय भी प्रदान करता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 18(ङ), 19(8) और 20(1)(ग)

7. मजिस्ट्रेट धनीय राहत की राशि कैसे तय करता है?

मजिस्ट्रेट आपके मामले के तथ्यों पर विचार करेगा।

अधिनियम कहता है कि धनीय राहत पर्याप्त, निष्पक्ष, उचित और आपके जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(2)।

8. क्या मजिस्ट्रेट को धनीय राहत देना अनिवार्य है?

हमेशा नहीं।

मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों और लागू कानून के आधार पर यह निर्णय करेंगे कि धनीय राहत दी जानी चाहिए या नहीं, और यदि दी जाए तो उसकी राशि कितनी होगी।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20।

9. क्या मैं अन्य प्रकार की राहत के साथ धनीय राहत की मांग कर सकती हूँ?

हाँ।

आप अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य राहत के साथ धनीय राहत की मांग कर सकते हैं, जैसे:

- संरक्षण आदेश;
- निवास आदेश;
- अभिरक्षा आदेश;
- प्रतिकर आदेश; या
- अंतरिम या तत्काल आदेश।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 12(1), 18-23 और 26।

10. क्या मजिस्ट्रेट तत्काल धनीय राहत का आदेश दे सकता है?

हाँ।

यदि कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो मजिस्ट्रेट आपके मामले के लंबित रहने के दौरान अंतरिम धन संबंधी राहत प्रदान कर सकता है।

ऐसी राहत दी जाती है या नहीं यह परिस्थितियों और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 23।

11. भुगतान किसे प्राप्त होता है?

मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि भुगतान आपको या, जहां उपयुक्त हो, आपकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किया जाए।

जहां उपयुक्त हो, मजिस्ट्रेट आपको आश्रय प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को सीधे भुगतान करने का निर्देश भी दे सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(7) और 20।

12. प्रत्यर्थी को कब भुगतान करना चाहिए?

मजिस्ट्रेट के आदेश में आमतौर पर बताया जाएगा कि भुगतान कैसे और कब किया जाना है।

अधिनियम कहता है कि प्रत्यर्थी को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करना होगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(3)।

13. यदि प्रत्यर्थी भुगतान नहीं करता है तो क्या होगा?

यदि प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोक्ता या देनदार को, प्रत्यर्थी के मजदूरी, वेतन या ऋण का कुछ हिस्सा सीधे धनीय राहत के लिए भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

कानून इसे आदेश को लागू करने में मदद करने के एक तरीके के रूप में प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए *अध्याय 13 देखें: आदेशों की निःशुल्क प्रतियाँ, अवधि, परिवर्तन और प्रवर्तन*।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 20(6)।

14. क्या मुझे धनीय राहत मिल सकती है यदि मेरे पास पहले से ही एक और भरणपोषण का मामला है?

हाँ।

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत अन्य कानूनी उपायों के अतिरिक्त है।

आपको अदालत को किसी अन्य भरण-पोषण या संबंधित कार्यवाही के बारे में बताना चाहिए ताकि मजिस्ट्रेट के पास पूरी तस्वीर हो।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 20(1)(घ), 26 और 36।

15. क्या धनीय राहत और प्रतिकर एक ही हैं?

नहीं।

धनीय राहत मुख्य रूप से घरेलू हिंसा के कारण होने वाले वित्तीय खर्चों और नुकसानों को को पूरा करने के लिए होती है, जैसे कि कमाई की हानि, चिकित्सा व्यय, संपत्ति को नुकसान और भरणपोषण।

प्रतिकर का आदेश एक अलग उपाय है जिसे चोटों के लिए दिया जा सकता है, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट भी शामिल हैं। इसे इस पुस्तिका में आगे समझाया गया है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 20 और 22।

16. क्या मुझे धनीय राहत आदेश की एक प्रति प्राप्त होगी?

हाँ।

अधिनियम के तहत किए गए आदेशों की मुफ्त प्रतियां संबंधित पक्षों, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी और किसी भी पंजीकृत सेवा प्रदाता को दी जानी चाहिए, जिसने घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज की है, जहां लागू हो।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

सुरक्षा नोट

यदि आप घरेलू हिंसा के कारण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके संरक्षण अधिकारी, अपने वकील, कानूनी सहायता प्राधिकरण या मजिस्ट्रेट को बताएं। यदि आपको भोजन, दवा, आवास या अपने बच्चों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो पूछें कि क्या अंतरिम धनीय राहत आपके मामले में उचित हो सकती है। यदि प्रत्यर्थी के साथ पैसे पर चर्चा करने से आपको अधिक जोखिम हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा पर विचार किए बिना ऐसा करने से बचें।

अध्याय 10
अभिरक्षा आदेश

अभिरक्षा (कस्टडी-हेतु) आदेश वह आदेश है जो घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान बच्चे की अस्थायी देखभाल के बारे में होता है।

इस अध्याय में बताया गया है कि आप मजिस्ट्रेट से अस्थायी अभिरक्षा कब माँग सकती हैं, मजिस्ट्रेट क्या निर्णय दे सकते हैं, और यदि प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थी) से संपर्क बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है, तो क्या हो सकता है।

1. अभिरक्षा आदेश क्या है?

अभिरक्षा आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया ऐसा आदेश है जिसमें किसी बच्चे या बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा व्यथित (पीड़ित) महिला को, या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को दी जा सकती है।

इसका अर्थ है कि मामले के दौरान बच्चे को महिला या किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जा सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझें।

मजिस्ट्रेट यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी बच्चे से मिल सकता है या नहीं, और यदि मिल सकता है तो मुलाकात किस तरीके से होगी।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 21।

2. क्या, इस अधिनियम के तहत, अभिरक्षा आदेश स्थायी होता है?

अधिनियम अस्थायी अभिरक्षा की बात करता है।

इसका अर्थ है कि अभिरक्षा आदेश घरेलू हिंसा की कार्यवाही के दौरान तत्काल या अल्पकालिक सुरक्षा और सहायता देने के लिए होता है। यह अन्य पारिवारिक कानूनों के तहत दीर्घकालिक अभिभावकत्व या स्थायी अभिरक्षा पर अंतिम निर्णय के समान नहीं है।

यदि किसी अन्य न्यायालय में अभिरक्षा से संबंधित कोई अलग मामला चल रहा है, तो आपको इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 21 और 26।

3. मैं अभिरक्षा आदेश कब माँग सकती हूँ?

जब आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन करती हैं, तब आप अभिरक्षा आदेश मांग सकती हैं।

आप इसे अन्य अनुतोषों के साथ भी माँग सकती हैं, जैसे, संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय अनुतोष (आर्थिक राहत), प्रतिकर (मुआवज़ा) आदेश, या तात्कालिक आदेश।

मजिस्ट्रेट, संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष की आवेदन की सुनवाई की किसी भी चरण पर, बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा देने का आदेश दे सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1), 21 और 23; तथा नियम 6।

4. क्या मैं तत्काल अभिरक्षा आदेश माँग सकती हूँ?

हाँ। परिस्थिति अनुसार आप तत्काल अनुतोष की माँग कर सकती हैं।

मजिस्ट्रेट मामले के दौरान अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। यदि आवेदन से यह प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा हुई है, हो रही है, या होने की संभावना है, और कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश भी पारित कर सकते हैं।

एकपक्षीय आदेश वह आदेश है जो प्रत्यर्थी को पहले सुने बिना पारित किया जाता है। यह तब महत्वपूर्ण हो सकता है, जब आपको या आपके बच्चे को तत्काल खतरा हो।

अधिक जानकारी के लिए - *अध्याय 12: तात्कालिक आदेश: अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 23; तथा नियम 7 और प्रपत्र III ।

5. क्या मैं अन्य आदेशों के साथ-साथ अभिरक्षा की भी माँग कर सकती हूँ?

हाँ। आप एक ही आवेदन में एक से अधिक अनुतोष की माँग कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए, आप अपने मामले की परिस्थितियों और अपनी आवश्यकता के अनुसार हिंसा से संरक्षण, साझी गृहस्थी में रहने से संबंधित सहायता, खर्चों के लिए आर्थिक सहायता, प्रतिकर, तथा बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा की माँग कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1), 18, 19, 20, 21 और 22।

6. क्या मेरी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अभिरक्षा आदेश के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन आप स्वयं ही करें।

अधिनियम के तहत आवेदन आप स्वयं, संरक्षण अधिकारी, या आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है।

यदि आपने अभिरक्षा आदेश की माँग की है, तो मजिस्ट्रेट बच्चे या बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा आपको, या आपकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं।

संरक्षण अधिकारी आवेदन तैयार करने और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं।

मजिस्ट्रेट के निर्देश अनुसार, संरक्षण अधिकारी बच्चों की अभिरक्षा वापस दिलाने या उनसे मिलने का अधिकार दिलाने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं।

यह व्यवस्था उस स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, जब आप डरी हुई हों, घायल हों, यात्रा करने में असमर्थ हों, आप पर निगरानी रखी जा रही हों, या किसी अन्य कारण से आप स्वयं सुरक्षित रूप से सहायता प्राप्त न कर पा रही हों।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधनियिम की धाराएँ 12(1), 21 और 23; तथा
नियम 6, 8(1)(iii) और 10(1)(d)।

7. अभिरक्षा आदेश किन बच्चों पर लागू हो सकता है?

अधिनियम में "बच्चा" शब्द का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है।इसमें दत्तक बच्चा, सौतेला बच्चा या पालित बच्चा शामिल है।

यदि मजिस्ट्रेट इसे उचित समझते हैं, तो अभिरक्षा आदेश घरेलू हिंसा आवेदन से जुड़े किसी भी बच्चे या बच्चों पर लागू हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 2(b) और 21।

8. बालक या बालिका की अस्थायी अभिरक्षा किसे दी जा सकती है?

प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित, मजिस्ट्रेट बच्चे या बच्चों की अस्थायी अनुरक्षा इनको दे सकते हैं:

- व्यथित महिला को; या
- उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 21

9. क्या प्रत्यर्थी बच्चे से मिल सकता है?

यदि मजिस्ट्रेट इसे उचित समझते हैं, तो वह प्रत्यर्थी की बच्चे से मुलाकात की व्यवस्था कर सकते हैं।

आदेश में यह बताया जा सकता है कि मुलाकातें किस प्रकार होंगी।

उदाहरण के लिए, परिस्थिति के आधार पर मजिस्ट्रेट मुलाकात का समय, स्थान या तरीका तय कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 21।

10. मुझे चिंता है कि इन मुलाकातों से बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप अपनी चिंता के कारण मजिस्ट्रेट को बता सकती हैं।

यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझते हैं कि प्रत्यर्थी से मुलाकात करके बच्चे को हानि पहुँच सकती है, तो उन्हें ऐसी मुलाकात की अनुमति देने से इंकार करना होगा।

अधिनियम हर संभावित अभिरक्षा व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख नहीं करता। कैसा आदेश पारित किया जाएगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या माँग की गई है, मामले के तथ्य क्या हैं, और मजिस्ट्रेट अधिनियम के अंतर्गत क्या उचित समझते हैं।

आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आप क्यों मानती हैं कि मुलाकात हानिकारक हो सकती है।

उदाहरण के लिए, आप किसी हिंसा, धमकी, डर, दबाव, भावनात्मक नुकसान या बच्चे के लिए जोखिम के बारे में बता सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 21 तथा 21 का परंतुक।

11. यदि प्रत्यर्थी बच्चे को मुझसे दूर ले गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप जो कुछ हुआ है, उसके बारे में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, विधिक सहायता प्राधिकरण, पुलिस या मजिस्ट्रेट को बता सकती हैं।

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, आप मजिस्ट्रेट से बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा या तात्कालिक आदेश की माँग कर सकती हैं।

यदि मजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश दें, तो संरक्षण अधिकारी आपकी बच्चे की अभिरक्षा वापस दिलाने में सहायता कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12, 21 और 23;
नियम 10(1)(घ)।

12. यदि बच्चे को चिकित्सा सहायता या आश्रय की आवश्यकता हो तो क्या होगा?

ऐसे में आप सहायता माँग सकती हैं।

संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वे चिकित्सा सहायता, आश्रय और सुरक्षा से संबंधित मामलों में आपकी सहायता करें।

नियमों के अनुसार, संरक्षण अधिकारी को व्यथित महिला और उसके साथ किसी भी बच्चे को चिकित्सा सुविधा में उपचार दिलाने में सहायता करनी चाहिए। इसमें आवश्यकता होने पर चिकित्सा सुविधा तक पहुँचने के लिए परिवहन की व्यवस्था कराने में सहायता भी शामिल है।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि आवश्यकता होने पर आश्रय गृह तक पहुँचने के लिए परिवहन की व्यवस्था कराने में भी सहायता की जाए।

यदि आपको या बच्चे को तत्काल खतरा हो, तो आप पुलिस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन से तुरंत सहायता माँग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 6, 7 और 9;
नियम 8(1)(iv), 8(1)(vi), 8(1)(vii) और 9।

13. यदि कोई अन्य मामला पहले से चल रहा है तो क्या मैं अभिरक्षा आदेश मांग सकती हूँ?

हाँ। यदि कार्यवाही व्यथित महिला और प्रत्यर्थी से संबंधित है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उपलब्ध राहत दीवानी न्यायालय, परिवार न्यायालय या आपराधिक न्यायालय में चल रही अन्य कानूनी कार्यवाही में भी माँगी जा सकती है।

यदि आपको किसी अन्य कार्यवाही में पहले से कोई अनुतोष मिल चूका है, तो इसकी जानकारी आपको मजिस्ट्रेट को देनी होगी।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 26।

14. क्या अभिरक्षा आदेश बाद में बदला जा सकता है?

हाँ, यह संभव है।

यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो व्यथित महिला या प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत दिए गए आदेश में बदलाव, संशोधन या उसे निरस्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों कि ऐसा परिवर्तन आवश्यक है, तो वे उपयुक्त आदेश पारित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 13: नि:शुल्क प्रतियां, अवधि, परिवर्तन और आदेशों का प्रवर्तन*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25(2)।

15. क्या अभिरक्षा आदेश का अर्थ है कि प्रत्यर्थी को अंतिम रूप से अभिभावक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है?

आवश्यक नहीं।

इस अधिनियम के तहत दिया गया अभिरक्षा (कस्टडी) संबंधी आदेश घरेलू हिंसा की कार्यवाही के दौरान बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्यर्थी के अभिभावक के रूप में अधिकारों या स्थायी अभिरक्षा के बारे में अंतिम निर्णय हो गया है।

यदि प्रत्यर्थी का बच्चे से मिलना बच्चे के हित में नहीं है या उससे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी मुलाकात की अनुमति देने से इंकार कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 21।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि आपको लगता है कि बच्चा तत्काल खतरे में है, तो तुरंत सहायता लें। आप पुलिस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क कर सकती हैं।

यदि अभिरक्षा से जुड़े कागजात, संदेश, स्कूल रिकॉर्ड, चिकित्सा कागजात या अदालत के दस्तावेज अपने पास रखना असुरक्षित है, तो उनकी प्रतियाँ किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

अध्याय 11
प्रतिकर आदेश

प्रतिकर आदेश वह आदेश है जिसमें प्रत्यर्थी से घरेलू हिंसा से हुए नुकसान के लिए धन देने को कहा जाता है।

यह अध्याय बताता है कि प्रतिकर में क्या शामिल हो सकता है, यह आर्थिक अनुतोष से कैसे अलग है, और आप इसे मजिस्ट्रेट से कब माँग सकती हैं।

1. प्रतिकर आदेश क्या है?

प्रतिकर आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया ऐसा आदेश है जिसमें प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा से हुई चोटों के लिए

प्रतिकर और हर्जाना देने का निर्देश दिया जाता है।

इसमें मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर शामिल हो सकती है।

सरल शब्दों में, यह घरेलू हिंसा से हुए नुकसान के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित धन है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 22।

2. मैं प्रतिकर आदेश का अनुरोध कैसे करूँ?

आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर प्रतिकर आदेश का अनुरोध कर सकती हैं।

आवेदन में आप समझा सकती हैं:

- कौन सी घरेलू हिंसा हुई;
- उससे आपको कैसे नुकसान हुआ;
- क्या आपको मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट हुआ;
- क्या आपको कोई शारीरिक चोट या अन्य नुकसान हुआ;
- आप कौन सी प्रतिकर या हर्जाना माँग रही हैं।

आप प्रतिकर को अन्य आदेशों, जैसे संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक अनुतोष, अभिरक्षा आदेश या तत्काल आदेश के साथ माँग सकती हैं।

आवेदन नियमों के तहत दिए गए प्रपत्र में, या यथासंभव उसके निकट रूप में, किया जाना चाहिए। संरक्षण अधिकारी आवेदन तैयार करने और उसे मजिस्ट्रेट को भेजने में आपकी सहायता कर सकता है।

यदि आपके पास दस्तावेज, संदेश, चिकित्सा कागजात, फोटो या अन्य सामग्री है जो दिखाती है कि क्या हुआ या उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वे मदद कर सकते हैं। लेकिन सभी दस्तावेज न होना आपको सहायता माँगने से नहीं रोकना चाहिए।

मजिस्ट्रेट तथ्यों और कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर तय करेगा कि प्रतिकर दिया जाए या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी दिया जाए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1), 12(2), 22 और 23;
नियम 6 और प्रपत्र II ।

3. मैं किस बात के लिए प्रतिकर माँग सकती हूँ?

आप घरेलू हिंसा के कारण हुई क्षति या चोट के लिए प्रतिकर और हर्जाने की माँग कर सकती हैं।

अधिनियम विशेष रूप से कहता है कि इसमें शामिल हो सकते हैं:

- मानसिक यातना; और
- भावनात्मक कष्ट।

प्रतिकर माँगने के लिए केवल शारीरिक चोट का होना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम उन सभी प्रकार की चोटों या क्षतियों का विस्तृत उल्लेख नहीं करता जो इसके अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों तथा घरेलू हिंसा के कारण हुई क्षति को ध्यान में रखकर निर्णय करेंगे।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 22।

4. क्या प्रतिकर धनीय राहत के समान है?

नहीं। वे संबंधित हैं, लेकिन समान नहीं हैं।

धनीय राहत मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से हुए खर्चों और नुकसान के लिए होती है। इसमें आय की हानि, चिकित्सा खर्च, संपत्ति को नुकसान, और आपके तथा आपके बच्चों के लिए भरण-पोषण शामिल हो सकता है।

अधिक जानकारी के लिए *अध्याय 9: धनीय राहत* देखें।

प्रतिकर घरेलू हिंसा से हुई चोट और नुकसान के लिए होती है। इसमें मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट शामिल हो सकते हैं।

तथ्यों के आधार पर, आप आर्थिक अनुतोष और प्रतिकर दोनों माँग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 20 और 22।

5. क्या मैं प्रतिकर को अन्य आदेशों के साथ माँग सकती हूँ?

हाँ। आप उसी आवेदन में एक से अधिक प्रकार की सहायता माँग सकती हैं।

उदाहरण के लिए, जो हुआ है उसके आधार पर, आप संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक अनुतोष, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश या तत्काल आदेश माँग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1), 18, 19, 20, 21, 22 और 23;
नियम 6 और प्रपत्र II ।

6. क्या प्रतिकर माँगने के लिए मुझे अलग मामला दाखिल करना होगा?

आवश्यक नहीं।

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन में प्रतिकर या हर्जाने का अनुरोध शामिल हो सकता है। इसका अर्थ है कि आप उसी घरेलू हिंसा की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट से प्रतिकर माँग सकती हैं।

अधिनियम यह भी कहता है कि इससे घरेलू हिंसा से हुई चोटों के लिए प्रतिकर या हर्जाने का अलग दावा दाखिल करने का आपका अधिकार समाप्त नहीं होता।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1), 12(2) और 22;
नियम 6 और प्रपत्र II ।

7. मजिस्ट्रेट से प्रतिकर आदेश कौन माँग सकता है?

अधिनियम कहता है कि मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रतिकर आदेश पारित कर सकता है।

धारा 12 के तहत आवेदन किया जा सकता है:

- व्यथित महिला को;
- संरक्षण अधिकारी द्वारा; या
- व्यथित महिला की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(1) और 22;
नियम 6 और प्रपत्र II ।

8. मैं प्रतिकर कब माँग सकती हूँ?

आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन करते समय प्रतिकर माँग सकती हैं।

आप अपनी परिस्थिति के आधार पर इसे अन्य अनुतोषों के साथ भी माँग सकती हैं।

अधिनियम यह नहीं कहता कि प्रतिकर केवल मामला समाप्त होने के बाद ही माँगी जा सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12(12 ,(1(2) और 22; नियम 6 और प्रपत्र II ।

9. क्या मैं तत्काल प्रतिकर या अस्थायी सहायता माँग सकती हूँ?

मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत कार्यवाही में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।

यदि कानूनी आवश्यकताएँ पूरी हों, तो मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। एकपक्षीय आदेश ऐसा तत्काल आदेश है जो प्रत्यर्थी को पहले सुने बिना दिया जा सकता है।

धारा 23 कहती है कि धारा 22 के तहत एकपक्षीय आदेश दिया जा सकता है, जो प्रतिकर आदेशों से संबंधित है।

न्यायालय तथ्यों और अधिनियम की आवश्यकताओं के आधार पर तय करेगी कि तत्काल या अस्थायी अनुतोष उचित है या नहीं।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 12: तत्काल आदेश: अंतरिम और एकपक्षीय अनुतोष*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 22 और 23; नियम 7 और प्रपत्र III ।

10. मजिस्ट्रेट कितनी प्रतिकर का आदेश दे सकता है?

अधिनियम प्रतिकर के लिए कोई निश्चित राशि या निश्चित सूत्र नहीं देता।

मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों, हुए नुकसान और न्यायालय के सामने रखी सामग्री के आधार पर निर्णय करेगा।

इसका अर्थ है कि राशि मामले-दर-मामले अलग हो सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 22।

11. प्रतिकर माँगते समय कौन सी जानकारी मदद कर सकती है?

आप बता सकती हैं कि क्या हुआ और उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि उपलब्ध हो, तो निम्न आपकी माँग का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं:

- चिकित्सा कागजात;
- परामर्श या मानसिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड;
- फोटो;

- संदेश या कॉल रिकॉर्ड;
- धमकियों या अपमानजनक घटनाओं का विवरण;
- भावनात्मक कष्ट या मानसिक यातना का विवरण;
- खर्चों या नुकसान का प्रमाण;
- गवाहों का विवरण;
- कोई घरेलू घटना रिपोर्ट।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12, 20 और 22;
नियम 6 और प्रपत्र II ।

12. क्या प्रतिकर में चिकित्सा खर्च शामिल हो सकते हैं?

चिकित्सा खर्च का विशेष उल्लेख आर्थिक अनुतोष के तहत किया गया है।

यदि घरेलू हिंसा के कारण आपके चिकित्सा खर्च हुए हैं, तो आप धारा 20 के तहत आर्थिक अनुतोष माँग सकती हैं। आप धारा 22 के तहत चोटों, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट शामिल हैं, के लिए प्रतिकर भी माँग सकती हैं।

मजिस्ट्रेट तथ्यों के आधार पर तय करेगा कि कौन सी अनुतोष उचित है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 20 और 22।

13. क्या प्रतिकर में आय की हानि शामिल हो सकती है?

आय की हानि का विशेष उल्लेख आर्थिक अनुतोष के तहत किया गया है।

यदि घरेलू हिंसा के कारण आय की हानि हुई है, तो आप धारा 20 के तहत आर्थिक अनुतोष माँग सकती हैं। यदि हिंसा से चोट, मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट भी हुआ है, तो आप धारा 22 के तहत प्रतिकर माँग सकती हैं।

मजिस्ट्रेट तथ्यों के आधार पर तय करेगा कि कौन सा आदेश देना है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 20 और 22।

14. यदि मेरा कोई अन्य मामला न्यायालय में पहले से है तो क्या मैं प्रतिकर माँग सकती हूँ?

हाँ। अधिनियम कहता है कि धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत अनुतोष अन्य कानूनी कार्यवाहियों में भी माँगी जा सकती है, चाहे वे दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या आपराधिक न्यायालय के सामने हों, यदि कार्यवाही व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को प्रभावित करती है।

यदि आपको किसी अन्य कार्यवाही में पहले से अनुतोष मिल चुकी है, तो आपको मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 26।

15. यदि किसी अन्य न्यायालय ने पहले ही प्रतिकर या हर्जाने का आदेश दिया है तो क्या होगा?

अधिनियम कहता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रतिकर माँगना प्रतिकर या हर्जाने के लिए अलग दावा दाखिल करने के आपके अधिकार को समाप्त नहीं करता।

हालाँकि, यदि किसी अन्य न्यायालय ने आपके पक्ष में प्रतिकर या हर्जाने की डिक्री पहले ही पारित कर दी है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत चुकाई गई या देय कोई राशि उस डिक्री के तहत देय राशि में समायोजित की जा सकती है। न्यायालय पहले से आदेशित राशियों को ध्यान में रखेगी ताकि उसी नुकसान के लिए वही राशि दो बार वसूल न हो।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 12(2)।

16. क्या मुझे प्रतिकर आदेश की निःशुल्क प्रति मिल सकती है?

यदि मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित करता है, तो आदेश की प्रति आवेदन के पक्षकारों, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी और न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं में किसी भी सेवा प्रदाता को निःशुल्क दी जानी चाहिए। यदि किसी सेवा प्रदाता ने घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज की है, तो उस सेवा प्रदाता को भी प्रति मिलनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

17. क्या प्रतिकर आदेश बाद में बदला जा सकता है?

यह संभव हो सकता है।

यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो, तो व्यथित महिला या प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत दिए गए आदेश को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि परिवर्तन आवश्यक है, तो वह उचित आदेश पारित कर सकता है और उन्हें कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

अधिक जानकारी के लिए: *अध्याय 13: निःशुल्क प्रतियां, अवधि, परिवर्तन और आदेशों का प्रवर्तन*, देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25(2)।

18. प्रतिकर माँगने वाला आवेदन मैं कहाँ दाखिल कर सकती हूँ?

आवेदन प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट को उस स्थानीय सीमा में किया जा सकता है

जहाँ:

- व्यथित महिला स्थायी या अस्थायी रूप से रहती है;
- व्यथित महिला व्यवसाय करती है या नियोजित है;
- प्रत्यर्थी रहता है, व्यवसाय करता है या नियोजित है; या
- कारण-ए-कार्य उत्पन्न हुआ।

अधिनियम कहता है कि उसके तहत दिया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में लागू किया जा सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 27।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि प्रतिकर माँगने से आपके विरुद्ध दबाव, धमकी या हिंसा बढ़ सकती है, तो सुरक्षित कदमों के बारे में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी, विधिक सहायता प्राधिकरण, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से बात करें।

सहायता माँगने से पहले आपको सटीक कानूनी शब्द जानना आवश्यक नहीं है। आप बता सकती हैं कि क्या हुआ, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा और आपको कौन सी सहायता चाहिए।

अध्याय 12

तात्कालिक आदेश: अंतरिम एवं एकपक्षीय राहत

कभी-कभी घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिला को मुख्य मामले का अंतिम निर्णय होने से पहले ही तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 मजिस्ट्रेट को उपयुक्त मामलों में तात्कालिक या अस्थायी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये आदेश महिला, उसके बच्चों, उसके घर, उसके पैसे या उसकी सुरक्षा की रक्षा कर सकते हैं जब तक मामला चल रहा हो।

1. अंतरिम आदेश क्या होता है?

अंतरिम आदेश एक अस्थायी आदेश है जो मामले के लंबित रहने के दौरान दिया जाता है।

इसका उद्देश्य यह है कि अंतिम निर्णय आने तक पीड़ित महिला को आवश्यक राहत और संरक्षण मिल सके।

उदाहरण के लिए, यदि तत्काल संरक्षण, निवास संबंधी सहायता, आर्थिक सहायता, बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित राहत, या किसी अन्य तत्काल निर्देश की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट को यह उचित लगता है, तो वह अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 23(1)।

2. एकपक्षीय आदेश क्या होता है?

एकपक्षीय आदेश वह आदेश है जिसे प्रत्यर्थी की बात सुने बिना पारित किया जाता है।

ऐसा केवल आवश्यक परिस्थितियों में किया जाता है, जब मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि घरेलू हिंसा हो चुकी है, हो रही है या होने की संभावना है।

ऐसी स्थिति में, पीड़ित महिला द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दायर शपथपत्र के आधार पर मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 23(2),
नियम 7 तथा प्रपत्र III ।

3. मैं तात्कालिक आदेश कब माँग सकती हूँ?

यदि आपका मामला अभी न्यायालय में लंबित है और इस दौरान आपको तत्काल सुरक्षा या सहायता की आवश्यकता है, तो आप तात्कालिक आदेश माँग सकती हैं।

उदाहरण:

- हिंसा दोबारा होने का डर
- हिंसा बढ़ रही है
- घर से निकाले जाने का खतरा
- बुनियादी ज़रूरतों या चिकित्सा खर्च के लिए तत्काल धन की आवश्यकता
- बच्चे को खतरा
- प्रत्यर्थी आपकी संपत्ति, धन, गहने, दस्तावेज़ या स्त्रीधन ले सकता है
- अगली सुनवाई तक इंतज़ार करना आपके या आपके बच्चों के लिए असुरक्षित हो सकता है

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 23;
नियम 6 और प्रपत्र III ।

4. मैं कौन-कौन से तात्कालिक आदेश माँग सकती हूँ?

मामले के तथ्यों के आधार पर आप निम्नलिखित प्रकार की तात्कालिक अथवा अंतरिम राहत के लिए आवेदन कर सकती हैं—

- संरक्षण आदेश
- निवास आदेश
- धनीय राहत
- अभिरक्षा आदेश
- प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) आदेश

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 18, 19, 20, 21, 22 और 23(2)।

5. क्या मैं प्रत्यर्थी से संपर्क रोकने का तात्कालिक आदेश माँग सकती हूँ?

हाँ, आप संरक्षण आदेश माँग सकती हैं जिससे प्रत्यर्थी आपसे संपर्क या संवाद न कर सके।

इसमें व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोन संपर्क शामिल हो सकता है।

यदि स्थिति अत्यावश्यक हो, तो आप इस संबंध में अंतरिम आदेश या एकपक्षीय आदेश का अनुरोध भी कर सकती हैं। यह निर्णय मजिस्ट्रेट करेगा कि ऐसा आदेश पारित किया जाना उचित है या नहीं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 18(घ) और 23।

6. क्या मैं साझा गृहस्थी में रहने के लिए तात्कालिक सहायता प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती हूँ?

हाँ।

यदि आपको साझा गृहस्थी से जबरन निकाला जा रहा है, उसमें प्रवेश करने से रोका जा रहा है, या वहाँ आपके शांतिपूर्ण निवास अथवा कब्जे में बाधा पहुँचाई जा रही है, तो आप निवास आदेश के लिए आवेदन कर सकती हैं।

उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट निवास आदेश पारित कर सकता है। से आदेश के माध्यम से मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आपको साझा गृहस्थी से बेदखल करने या जबरन बाहर निकालने, आपके कब्जे या शांतिपूर्ण निवास में हस्तक्षेप करने, साझा गृहस्थी को बेचने या उसके संबंध में अन्य प्रकार का लेन-देन करने तथा साझा गृहस्थी के कुछ निर्दिष्ट भागों में प्रवेश करने से रोक सकता है।

यदि स्थिति अत्यावश्यक हो, तो आप अंतरिम राहत या एकपक्षीय राहत का भी अनुरोध कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 17, 19 एवं 23।

7. क्या मैं तात्कालिक धन या भरणपोषण माँग सकती हूँ?

हाँ।

यदि घरेलू हिंसा के कारण आपको कोई व्यय करना पड़ा है या आर्थिक हानि हुई है, तो आप धनीय राहत के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें चिकित्सा व्यय, आय की हानि, संपत्ति को हुई क्षति तथा आपके और आपके बच्चों के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता शामिल हो सकती है।

यदि तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, तो आप मजिस्ट्रेट से अंतरिम राहत या एकपक्षीय राहत प्रदान करने का अनुरोध कर सकती हैं। मजिस्ट्रेट तथ्यों के आधार पर यह तय करेगा कि क्या उपयुक्त है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 20, 22 एवं 23 तथा
नियमों का प्रपत्र III ।

8. क्या मैं अभिरक्षा से जुड़ी तत्काल सहायता मांग सकती हूँ?

हाँ।

मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चे/ बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा दे सकते हैं।

यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रत्यर्थी का बच्चे/ बच्चों से मिलना उनके हित में नहीं है, तो वे ऐसी मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं।

यदि स्थिति अत्यावश्यक है, तो आप अंतरिम या एकपक्षीय राहत का अनुरोध कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 21 और 23।

9. अंतरिम या एकपक्षीय आदेश के लिए मैं कैसे आवेदन करूँ?

आप मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपने आवेदन में अंतरिम या एकपक्षीय आदेश का अनुरोध कर सकती हैं।

नियमों के अनुसार, धारा 12 के तहत आवेदन प्रपत्र II में, या यथासंभव उसी के अनुरूप, किया जाना चाहिए।

एकपक्षीय आदेश के लिए, धारा 23(2) के तहत प्रपत्र III में शपथ-पत्र दाखिल किया जाना चाहिए।

संरक्षण अधिकारी आवेदन तैयार करने और उसे मजिस्ट्रेट तक पहुँचाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप पढ़ या लिख नहीं सकती हैं, तो संरक्षण अधिकारी आवेदन आपको पढ़कर सुनाएँगे और उसकी सामग्री समझाएँगे।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12 और 23; नियम 6 और 7; तथा
नियमों के प्रपत्र II और III ।

10. तत्काल सहायता मांगते समय मुझे क्या बताना चाहिए?

आपको यह बताना चाहिए कि क्या हुआ है और आपको तत्काल सहायता की आवश्यकता क्यों है।

उदाहरण के लिए, आप यह बता सकती हैं:

- आपके साथ किस प्रकार की घरेलू हिंसा हुई है;
- क्या ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है;
- क्या आपको आशंका है कि यह फिर से हो सकती है;
- क्या स्थिति लगातार अधिक गंभीर होती जा रही है;

- क्या आपको या आपके बच्चों को किसी प्रकार का खतरा है;
- क्या आपको तत्काल धनराशि, आश्रय, चिकित्सा सहायता, अभिरक्षा से संबंधित सहायता या संरक्षण की आवश्यकता है;
- यदि तुरंत सहायता नहीं मिली, तो स्थिति कैसे असुरक्षित हो सकती है।

यदि आपके पास दस्तावेज़, संदेश, फ़ोटोग्राफ, चिकित्सीय अभिलेख, गवाहों का विवरण या अन्य कोई सामग्री है, तो वे आपके आवेदन में सहायक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सभी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तब भी आप सहायता मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12 और 23; नियम 6 और 7;
तथा नियमों के प्रपत्र II और III ।

11. क्या कोई और व्यक्ति तत्काल आदेश प्राप्त करने में मेरी सहायता कर सकता है?

हाँ।

तत्काल आदेश प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं ही आवेदन करना आवश्यक नहीं है।

संरक्षण अधिकारी आवेदन करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। नियमों के अनुसार, आवश्यकता होने पर संरक्षण अधिकारी आवेदन तैयार करने, विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता, आश्रय और सुरक्षा योजना में भी मदद करते हैं।

सेवा प्रदाता भी आपके साथ हुई घटना का विवरण दर्ज कराने, चिकित्सा सहायता या आश्रय की व्यवस्था करने तथा आपको मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी या अन्य सहायता सेवाओं से जोड़ने में मदद कर सकते हैं।

यदि आप डरी हुई हैं, घायल हैं, यात्रा करने में असमर्थ हैं, आप पर निगरानी रखी जा रही है, या किसी अन्य कारण से स्वयं सुरक्षित रूप से सहायता नहीं ले सकती हैं, तो आप संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, विधिक सेवा प्राधिकरण, वकील, पुलिस अधिकारी या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन से मदद मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9, 10, 12 और 23; तथा नियम 6, 8 और 9।

12. क्या तत्काल सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता ली जा सकती है?

हाँ, कुछ परिस्थितियों में।

आपातकाल की स्थिति में, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को नियमों के अनुसार, तुरंत पुलिस की सहायता लेनी होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत कुछ निवास आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान करने या आदेश को लागू करने में सहायता करने का निर्देश दे सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(5) और 19(7); तथा
नियम 9।

13. अदालत तत्काल आदेश कितनी जल्दी पारित करेगी?

अधिनियम के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट को सामान्यतः पहली सुनवाई की तारीख तीन दिनों के भीतर निर्धारित करनी चाहिए।

नियमों के अनुसार, आपातकालीन स्थिति में घरेलू घटना रिपोर्ट बिना विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि उचित आदेश पारित किए जा सकें।

अधिनियम और नियमों में यह निर्धारित नहीं है कि प्रत्येक अंतरिम या एकपक्षीय आदेश कितने समय के भीतर पारित किया जाना चाहिए। आदेश पारित होने का समय मामले की तात्कालिकता, न्यायालय की प्रक्रिया और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 12(4); तथा नियम 9।

14. क्या तत्काल आदेश पारित करने से पहले प्रत्यर्थी को इसकी सूचना दी जाएगी?

आमतौर पर, मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख तय किए जाने के बाद प्रत्यर्थी को मामले की सूचना दी जाती है।

लेकिन यदि स्थिति अत्यंत गंभीर या तत्काल हो, तो कानूनी शर्तें पूरी होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी की बात सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, तत्काल आदेश पारित करने से पहले प्रत्यर्थी को सूचना नहीं दी जा सकती।

इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्यर्थी को मामले की जानकारी कभी नहीं दी जाएगी। इसके बाद अधिनियम और नियमों के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही जारी रहेगी और आवश्यकतानुसार प्रत्यर्थी को नोटिस दिया जाएगा।

यदि आपको लगता है कि प्रत्यर्थी को पहले से सूचना देने से आपको या आपके बच्चों को खतरा हो सकता है, तो तत्काल राहत मांगते समय यह बात स्पष्ट रूप से अदालत को बतानी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 13 और 23(2); तथा
नियम 12।

15. क्या अंतरिम या एकपक्षीय आदेश को बाद में बदला जा सकता है?

हाँ, ऐसा संभव है।

यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, तो पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत पारित आदेश में संशोधन, परिवर्तन या उसे निरस्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

मजिस्ट्रेट यदि संतुष्ट हो कि बदलाव आवश्यक है, तो उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है और उसे लिखित रूप में कारण दर्ज करना अनिवार्य है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25(2)।

16. अगर प्रत्यर्थी तत्काल आदेश का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?

यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है, तो यह अधिनियम के तहत एक अपराध है। ऐसे उल्लंघन पर अधिनियम के अनुसार दंड दिया जा सकता है।

यदि तत्काल आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो आप संरक्षण अधिकारी, पुलिस, सेवा प्रदाता, विधिक सेवा प्राधिकरण या मजिस्ट्रेट से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा नियम 15।

सुरक्षा संबंधी सलाह

यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो तुरंत सहायता लें। आप पुलिस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, विधिक सेवा प्राधिकरण या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप एकपक्षीय आदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से बताएं कि आदेश में देरी होने से आपकी सुरक्षा को कैसे खतरा हो सकता है।

यदि आपके लिए कागज़ात, फ़ोन संदेश या न्यायालय के दस्तावेज़ अपने पास रखना सुरक्षित नहीं है, तो उनकी प्रतियाँ किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

यदि आपके पास सभी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तब भी आप तत्काल मदद माँग सकते हैं।

अध्याय 13

नि:शुल्क प्रतियां, अवधि, परिवर्तन, और आदेशों का प्रवर्तन

मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के बाद, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आदेश क्या कहता है, किसे उसकी प्रति मिलनी चाहिए, यह कितने समय तक लागू रहेगा, क्या इसे बदला जा सकता है, और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो क्या किया जा सकता है।

यह अध्याय इन बिंदुओं को सरल शब्दों में समझाता है।

1. क्या मुझे मजिस्ट्रेट के आदेश की एक प्रति मिलेगी?

हाँ।

यदि मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित करता है, तो आपको उस आदेश की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त होनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

2. आदेश की प्रति और किसे प्राप्त करनी चाहिए?

आदेश की एक प्रति नि:शुल्क दी जानी चाहिए:

- आवेदन करने वाले पक्षों को;
- अदालत के अधिकार क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के प्रभारी को;
- न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी सेवा प्रदाता को; तथा
- उस सेवा प्रदाता जिसने घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज की है, यदि लागू होता है।

इससे संबंधित अधिकारियों और सहायता प्रदाताओं को यह जानने में मदद मिलती है कि अदालत ने क्या आदेश दिया है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

3. आदेश प्राप्त करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए?

ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें, या किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जिस पर आप भरोसा करते हैं, कि वह इसे समझने में आपकी मदद करे।

आप एक संरक्षण अधिकारी, कानूनी सहायता प्राधिकरण, वकील, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी या विश्वसनीय सहायता संगठन से मदद मांग सकते हैं।

समझने की कोशिश करें:

- प्रत्यर्थी को क्या करना चाहिए;
- प्रत्यर्थी को क्या नहीं करना चाहिए;
- आदेश अस्थायी है या अंतिम;
- क्या कोई भुगतान करना है;
- क्या साझा घर के बारे में निर्देश हैं;
- क्या बच्चों के बारे में निर्देश हैं;
- यदि प्रत्यर्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो क्या करें।

यदि ऑर्डर को अपने पास रखना असुरक्षित है, तो एक प्रति किसी ऐसे व्यक्ति के पास रखने पर विचार करें जिस पर आप भरोसा करते हैं या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 24 और 25; तथा नियम 8 और 10।

4. क्या सभी आदेश समान अवधि तक लागू रहते हैं?

अधिनियम धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश की अवधि के लिए एक विशिष्ट नियम देता है।

अधिनियम हर प्रकार के आदेश के लिए एक निश्चित अवधि नहीं देता है, जैसे कि निवास आदेश, धनीय राहत, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकार आदेश, अंतरिम आदेश, या एकपक्षीय आदेश।

अवधि इस बात पर निर्भर हो सकती है कि मजिस्ट्रेट ने आदेश में क्या कहा है और क्या बाद में उस आदेश में कोई बदलाव, संशोधन या निरस्तीकरण किया गया है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 25।

5. क्या बाद में आदेश बदला जा सकता है?

हाँ।

यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, तो पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत दिए गए आदेश को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों कि आदेश में बदलाव करना आवश्यक है, तो वे आदेश में बदलाव कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25(2)।

6. क्या प्रत्यर्थी अदालत से आदेश बदलने के लिए कह सकता है?

हाँ।

अधिनियम पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी को परिस्थितियों में बदलाव होने पर किसी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश अपने आप बदल जाएगा। मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि बदलाव की जरूरत है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25(2)।

7. क्या होगा अगर मुझ पर आदेश को बदलने या रद्द करने के लिए सहमत होने के लिए दबाव डाला जा रहा है?

यदि आप पर किसी आदेश को बदलने या रद्द करने के लिए सहमति देने का दबाव डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है या गुमराह किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी, वकील, विधिक सेवा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता को बताएं।

नियमों में कहा गया है कि धारा 25 के तहत एक आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब अदालत संतुष्ट हो जाए कि आवेदन बल, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या ऐसे किसी अन्य कारक से प्रभावित नहीं है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 25; तथा नियम 14(17)।

8. “प्रवर्तन” का क्या अर्थ है?

प्रवर्तन का अर्थ है यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि अदालत के आदेश का पालन किया जाए।

उदाहरण के लिए, प्रवर्तन की आवश्यकता हो सकती है यदि प्रत्यर्थी:

- संरक्षण आदेश के बावजूद आपसे संपर्क करना जारी रखता है;
- अदालत द्वारा आदेशित धनीय राहत का भुगतान करने से इनकार करता है;
- निवास आदेश के बावजूद आपको साझा घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है;
- आदेश के अनुसार संपत्ति या स्त्रीधन वापस करने से इनकार करता है;

- कुछ ऐसा करता है जो करने से अदालत ने उसे मना किया है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19, 20, 24, 25, 31 और 32; तथा
नियम 10 और 15।

9. अगर आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो कौन मेरी मदद कर सकता है?

आप इससे मदद ले सकते हैं:

- संरक्षण अधिकारी;
- पुलिस;
- मजिस्ट्रेट;
- एक सेवा प्रदाता;
- एक कानूनी सहायता प्राधिकरण;
- एक वकील;
- एक विश्वसनीय सहायता संगठन।

नियमों में कहा गया है कि, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो संरक्षण अधिकारी को अधिनियम के तहत किए गए आदेशों को लागू करने में अदालत की सहायता करनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9, 19, 20, 31 और 32; तथा
नियम 10 और 15।

10. क्या एक संरक्षण अधिकारी प्रवर्तन में मदद कर सकता है?

हां, अगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया जाता है।

नियमों में कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी अधिनियम के तहत किए गए आदेशों को लागू करने में अदालत की सहायता कर सकता है, जिसमें धारा 12, 18, 19, 20, 21 और 23 के तहत आदेश शामिल हैं।

संरक्षण अधिकारी अदालत द्वारा निर्देशित अन्य कदमों में भी मदद कर सकता है, जैसे कि उपहार और आभूषण सहित व्यक्तिगत प्रभावों के कब्जे को बहाल करना, या अभिरक्षा से संबंधित निर्देशों में सहायता करना।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9; तथा नियम 10(1)(ग),
10(1)(घ) और 10(1)(ङ)।

11. क्या पुलिस किसी आदेश को लागू करने में मदद कर सकती है?

कुछ स्थितियों में, हाँ।

निवास के आदेशों के लिए, मजिस्ट्रेट निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को पीड़ित महिला को संरक्षण देने या आदेश को लागू करने के लिए उसकी या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की मदद करने का निर्देश दे सकता है।

मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश को लागू करने में पुलिस सहायता का निर्देश भी दे सकता है।

यदि किसी संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन होता है, तो मामले की सूचना पुलिस को दी जा सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(5), 19(7), 31 और 32; तथा नियम 15।

12. क्या होगा यदि प्रत्यर्थी धनीय राहत का भुगतान नहीं करता है?

यदि मजिस्ट्रेट धनीय राहत का आदेश देता है, तो प्रत्यर्थी को आदेश में बताई गई अवधि के भीतर इसका भुगतान करना होगा।

यदि प्रत्यर्थी भुगतान नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोक्ता या देनदार को प्रत्यर्थी के मजदूरी, वेतन या ऋण का एक हिस्सा सीधे पीड़ित महिला को भुगतान करने या अदालत में जमा करने का निर्देश दे सकता है। इस राशि को प्रत्यर्थी द्वारा देय धनीय राहत के लिए समायोजित किया जा सकता है।

संरक्षण अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि धनीय राहत के आदेश का अनुपालन किया जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9(1)(ज), 20(5) और 20(6); तथा नियम 6(5)।

13. क्या होगा यदि प्रत्यर्थी निवास आदेश का पालन नहीं करता है?

यदि प्रत्यर्थी निवास आदेश का पालन नहीं करता है, तो आप संरक्षण अधिकारी, पुलिस, कानूनी सहायता प्राधिकरण, सेवा प्रदाता, वकील या मजिस्ट्रेट से मदद ले सकते हैं।

मजिस्ट्रेट आपके संरक्षण के लिए पुलिस की मदद का निर्देश दे सकता है या आदेश को लागू करने में सहायता कर सकता है।

यदि अदालत ने संरक्षण अधिकारी को प्रवर्तन में मदद करने का निर्देश दिया है, तो संरक्षण अधिकारी को मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित तरीके से सहायता करनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(5), 19(7), 19(8) और 25; तथा नियम 10(1)(ङ)।

14. क्या होगा यदि प्रत्यर्थी मेरे स्त्रीधन, आभूषण या संपत्ति वापस करने से इनकार करता है?

यदि मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी को आपका स्त्रीधन या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करने का आदेश दिया है और प्रत्यर्थी ऐसा नहीं करता है, तो आप आदेश का प्रवर्तन कराने के लिए सहायता मांग सकती हैं।

नियमों के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट निर्देश दें, तो संरक्षण अधिकारी व्यक्तिगत सामान, जिनमें उपहार और आभूषण शामिल हैं, का कब्जा पीड़ित महिला को वापस दिला सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 19(8) और 25; तथा
नियम 10(1)(ग)

15. क्या होगा यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है?

प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन अधिनियम के तहत एक अपराध है।

इसे एक वर्ष तक के लिए कारावास या ₹20,000 तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है जिसका अर्थ है कि इस आदेश का उल्लंघन एक गंभीर मामला है। आप संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस को उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए *अध्याय 15: संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड* देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा का नियम 15।

16. मैं संरक्षण आदेश के उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करूँ?

आप संरक्षण अधिकारी को संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा
नियम 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4)।

17. क्या होगा अगर कोई आदेश को लागू होने से रोकने की कोशिश करता है?

नियमों में कहा गया है कि प्रत्यर्थी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत अदालत के आदेशों को लागू करने के किसी भी प्रतिरोध को अधिनियम के तहत कवर किए गए संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

यदि कोई आदेश को पूरा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो संरक्षण अधिकारी, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कानूनी सहायता प्राधिकरण या सेवा प्रदाता से मदद लें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: नियम 15(7)।

18. क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दिया गया आदेश मेरे जिले या राज्य के बाहर वैध है?

हाँ।

अधिनियम कहता है कि अधिनियम के तहत दिया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में लागू होता है।

इसका मतलब है कि आदेश केवल उस स्थान तक ही सीमित नहीं है जहां इसे पारित किया गया था।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 27(2)।

19. अगर मैं आदेश की अपनी प्रति खो दूं तो क्या होगा?

अधिनियम कहता है कि आदेश पारित होने पर अदालत को आदेश की मुफ्त प्रतियां देनी चाहिए।

यहां समीक्षा किए गए अधिनियम और नियम स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि यदि आप इसे खो देते हैं तो एक और प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।

आप अदालत, संरक्षण अधिकारी, कानूनी सहायता प्राधिकरण, वकील या सेवा प्रदाता से पूछ सकते हैं कि दूसरी प्रति कैसे प्राप्त करें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 24।

20. यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो क्या मुझे प्रमाण रखना चाहिए?

यदि ऐसा करना सुरक्षित है, तो सबूत रखने से मदद मिल सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- संदेश;
- कॉल रिकॉर्ड;
- तस्वीरें;
- चिकित्सा पत्र;
- गवाह विवरण;
- भुगतान रिकॉर्ड;
- बैंक रिकॉर्ड;

- पुलिस शिकायत विवरण;
- घटनाओं की तारीखें और समय।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा नियम 15।

संरक्षण नोट

यदि प्रत्यर्थी किसी आदेश की अवहेलना करता है या आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो तुरंत मदद लें। आप पुलिस, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेवा प्रदाता, कानूनी सहायता प्राधिकरण, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकते हैं।

यदि अदालत के आदेश, संदेश या अन्य दस्तावेज़ अपने पास रखना असुरक्षित है, तो प्रतियां किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

यदि तत्काल खतरा है, तो पुलिस या आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें।

अध्याय 14
अपील

यदि आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश से असहमत हैं, तो आप उच्चतर अदालत से उस पर विचार करने के लिए कह सकती हैं।

इसे अपील कहा जाता है।

यह अध्याय बताता है कि अपील क्या है, कहाँ की जाती है, आपके पास कितना समय होता है, और किन बिंदुओं पर कानूनी सहायता या स्थानीय पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है।

1. अपील क्या है?

अपील उच्चतर अदालत से यह अनुरोध है कि वह मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश पर विचार करे।

अपील शुरू से नई शिकायत करने के समान नहीं है। यह पहले से दिए गए आदेश को चुनौती देने का तरीका है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

2. क्या मैं मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील कर सकती हूँ?

हाँ।

अधिनियम कहता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

यदि आप इस आदेश से व्यथित हैं, तो आप सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती हैं। सत्र न्यायालय को इस आदेश की वैधता एवं औचित्य की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

3. अपील कौन दाखिल कर सकता है?

यदि पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी मजिस्ट्रेट के आदेश से प्रभावित हैं, तो वे उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

4. मैं अपील कहाँ दाखिल करूँ?

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपील सत्र न्यायालय में की जाती है।

अधिनियम धारा 29 में अपील दाखिल करने की विस्तृत चरण-दर-चरण प्रक्रिया नहीं बताता। स्थानीय अदालत की प्रक्रिया की जाँच की आवश्यकता हो सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

5. अपील करने के लिए मेरे पास कितना समय है?

अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

ये 30 दिन उस तारीख से गिने जाते हैं जिस दिन मजिस्ट्रेट का आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर तामील किया गया हो, जो भी बाद में हो।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

6. "आदेश की तामील" का क्या अर्थ है?

"आदेश की तामील" का अर्थ है कि आदेश को कानून या अदालत की प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक रूप से संबंधित व्यक्ति को दिया या पहुँचाया गया है।

अधिनियम 30 दिनों की अपील अवधि की गणना के लिए तामील की तारीख का उपयोग करता है।

यदि आपको यह स्पष्ट नहीं है कि आदेश कब तामील हुआ, तो तारीख जाँचने में मदद के लिए अदालत, वकील, विधिक सहायता प्राधिकरण या संरक्षण अधिकारी से पूछें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

7. यदि मैं आदेश के केवल किसी हिस्से से असहमत हूँ तो क्या मैं अपील कर सकती हूँ?

आप आदेश के उस हिस्से के विरुद्ध अपील कर सकती हैं जो आपको प्रभावित करता है।

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आर्थिक राहत की राशि, निवास संबंधी निर्देश, अभिरक्षा संबंधी निर्देश या आदेश के किसी अन्य हिस्से से असहमत हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

8. क्या मैं अंतरिम या एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील कर सकती हूँ?

हाँ। सामान्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी अंतरिम आदेश या एकपक्षीय आदेश, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पारित आदेश भी शामिल है, के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसी अपील आदेश की तामील व्यथित व्यक्ति या प्रतिवादी , जो भी बाद में प्राप्त करे, उस तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।

उचित परिस्थितियों में, यदि सत्र न्यायालय आवश्यक समझे, तो वह अपील लंबित रहने के दौरान उपयुक्त अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसमें चुनौती दिए गए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश भी शामिल हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 23 और 29।

9. क्या प्रत्यर्थी मेरी सुरक्षा के लिए दिए गए आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है?

हाँ।

यदि प्रत्यर्थी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश से प्रभावित है, तो वह अपील कर सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि आदेश अपने-आप रद्द हो गया है। जब तक अदालत उसे बदल न दे, रद्द न कर दे या उस पर रोक न लगा दे, आदेश प्रभावी माना जाना चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 25 और 29।

10. क्या अपील दाखिल करने से मजिस्ट्रेट का आदेश अपने-आप रुक जाता है?

अधिनियम और नियम यह नहीं कहते कि अपील दाखिल करने से मजिस्ट्रेट का आदेश अपने-आप रुक जाता है।

इसका अर्थ है कि जब तक अदालत उसे बदल न दे, रद्द न कर दे या उस पर रोक न लगा दे, आदेश लागू माना जाना चाहिए।

यदि अपील के दौरान सुरक्षा या आदेश लागू कराने को लेकर आपको चिंता है, तो संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील, सेवा प्रदाता या अदालत से सहायता लें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 24, 25, 29, 31 और 32।

11. क्या अपील करने के बजाय मैं आदेश बदलने के लिए कह सकती हूँ?

कभी-कभी, हाँ।

यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो, तो पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत दिए गए आदेश को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं।

यह अपील से अलग है।

अपील में सत्र न्यायालय से मजिस्ट्रेट के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। धारा 25 के तहत आवेदन में, परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण मजिस्ट्रेट से आदेश बदलने, संशोधित करने या रद्द करने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 25 और 29।

12. यदि मैं 30 दिनों की समय-सीमा चूक जाऊँ तो क्या होगा?

यदि 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील दायर की जाती है, तब भी सत्र न्यायालय उचित कारण होने पर विलंब को माफ कर सकता है। इसके लिए अपील के साथ विलंब के कारणों को बताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विलंब को माफ किया जाएगा या नहीं, इसका निर्णय मामले के तथ्यों और बताए गए कारणों के आधार पर सत्र न्यायालय करेगा।

यदि 30 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, तो यथाशीघ्र विधिक सलाह प्राप्त करें।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 29।

13. क्या मुझे अपील में कानूनी सहायता मिल सकती है?

हाँ।अपील दायर करने के लिए आप विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आप अपनी पसंद के किसी अधिवक्ता की सेवाएँ ले सकती हैं। यदि आप पात्र हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं।संरक्षण अधिकारी भी उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 5 और 9; तथा नियम 8।

14. यदि मैं अपील के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए?

जब मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत आदेश पारित करता है, तो आपको उस आदेश की निःशुल्क प्रति मिलनी चाहिए।

यदि आपके पास आदेश पहले से है, तो उसे सुरक्षित रखें और ध्यान से पढ़ें। यदि उसे समझना कठिन हो, तो वकील, विधिक सहायता प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या विश्वसनीय सहायता संगठन से उसे समझाने को कहें।

आप चाहें तो:

- यह जाँचें कि आदेश आप पर कब तामील हुआ;
- यदि पता चल सके, तो यह जाँचें कि आदेश प्रत्यर्थी पर कब तामील हुआ;
- आदेश के उन हिस्सों को नोट करें जिनसे आप असहमत हैं;
- जल्द से जल्द कानूनी सहायता लें;
- आदेश और संबंधित कागजात की प्रतियाँ सुरक्षित स्थान पर रखें।

तामील की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 दिनों की अपील अवधि उस तारीख से गिनी जाती है जिस दिन आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर तामील हुआ हो, जो भी बाद में हो।

यदि आपको आदेश की प्रति नहीं मिली, या वह खो गई है, तो जल्दी प्रति प्राप्त करने में सहायता के लिए अदालत, संरक्षण अधिकारी, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या सेवा प्रदाता से पूछें।

यदि आदेश या अपील के कारण हिंसा, दबाव या बदले की कार्रवाई का जोखिम है, तो सुरक्षा सहायता लें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 24 और 29; तथा नियम 8।

15. क्या अपील किसी दूसरे राज्य में दाखिल की जा सकती है?

अधिनियम कहता है कि अपील सत्र न्यायालय में होती है।

यह भी कहता है कि अधिनियम के तहत दिए गए आदेश पूरे भारत में लागू किए जा सकते हैं।

हालाँकि, यहाँ समीक्षा किए गए अधिनियम और नियम यह विस्तृत रूप से नहीं बताते कि आदेश दिए जाने के बाद पक्ष किसी दूसरे जिले या राज्य में चले गए हों तो अपील कहाँ दाखिल की जानी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 27(2) और 29।

16. क्या अपील के दौरान मुझे प्रत्यर्थी का सामना करना होगा?

यहाँ समीक्षा किए गए अधिनियम और नियम यह विस्तृत रूप से नहीं बताते कि अपील की सुनवाई कैसे की जाती है।

यदि अपील प्रक्रिया के दौरान आपको सुरक्षा, दबाव या डराने-धमकाने की चिंता है, तो अपने वकील, विधिक सहायता प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या अदालत को बताएं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 14, 15, 16 और 29।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि अपील दाखिल की गई है, या आप अपील दाखिल करने के बारे में सोच रही हैं, तो सुरक्षा को ध्यान में रखें।

यदि प्रत्यर्थी मजिस्ट्रेट के आदेश से नाराज़ है, आपको धमकाता है, वापस लेने के लिए दबाव डालता है, या आपको अदालत जाने से रोकने की कोशिश करता है, तो जल्दी सहायता लें। आप संरक्षण अधिकारी, पुलिस, सेवा प्रदाता, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

यदि पहले से संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश है और प्रत्यर्थी उसका उल्लंघन करता है, तो यह अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए *'अध्याय 15: संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड'* देखें।

अध्याय 15
संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड

संरक्षण आदेश का उद्देश्य आपको आगे की घरेलू हिंसा से सुरक्षित रखने में मदद करना है।

यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता, तो अधिनियम इसे गंभीरता से लेता है। यह अध्याय बताता है कि उल्लंघन का क्या अर्थ है, इसकी रिपोर्ट कैसे की जा सकती है, और कौन से दंड लागू हो सकते हैं।

1. संरक्षण आदेश का उल्लंघन क्या है?

उल्लंघन का अर्थ है कि प्रत्यर्थी ऐसा कुछ करता है जिसे संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश उसे न करने के लिए कहता है।

उदाहरण के लिए, यदि आदेश कहता है कि प्रत्यर्थी आपसे संपर्क नहीं करेगा, और वह आपको फोन करता है, संदेश भेजता है, पीछा करता है, धमकाता है या मिलने आता है, तो यह उल्लंघन हो सकता है।

सटीक अर्थ इस बात पर निर्भर करेगा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में क्या लिखा है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 18, 23, 31 और 32; तथा
नियम 15।

2. अंतरिम संरक्षण आदेश क्या है?

अंतरिम संरक्षण आदेश वह अस्थायी संरक्षण आदेश है जो मामला जब चल रहा हो तब दिया जाता है।

यह तब दिया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले के अंतिम निर्णय से पहले अस्थायी संरक्षण की आवश्यकता है।

अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन भी अधिनियम के तहत अपराध है। इस प्रकार के आदेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए '*अध्याय 12: तत्काल आदेश: अंतरिम और एकपक्षीय राहत*' देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 23, 31 और 32; तथा
नियम 15।

3. किस प्रकार के कार्य संरक्षण आदेश का उल्लंघन कर सकते हैं?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आदेश में क्या लिखा है।

संरक्षण आदेश प्रत्यर्थी को ऐसे कार्यों से रोक सकता है, जैसे:

- घरेलू हिंसा करना;
- किसी और को घरेलू हिंसा करने में मदद करना;
- आपके कार्यस्थल, या बच्चे के स्कूल या किसी अन्य स्थान पर जाना जहाँ आप अक्सर जाती हैं;
- आपसे व्यक्तिगत रूप से, फोन से, लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य तरीके से संपर्क करना;
- मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कुछ संपत्तियों, बैंक खातों, लॉकरों, स्त्रीधन या संपत्ति से संबंधित लेन-देन करना;
- आपकी सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध हिंसा करना;
- संरक्षण आदेश में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

यदि प्रत्यर्थी ऐसा कुछ करता है जिसे आदेश रोकता है, तो यह उल्लंघन हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 18, 23, 31 और 32; तथा नियम 15।

4. क्या संरक्षण आदेश का उल्लंघन कानूनन अपराध है?

हाँ।

प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन अधिनियम के तहत अपराध है।

इसका अर्थ है कि इसके आपराधिक परिणाम हो सकते हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 31।

5. संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर प्रत्यर्थी को क्या दंड हो सकता है?

यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है:

- एक वर्ष तक के कारावास सकती है;
- ₹20,000 तक जुर्माने से; या
- कारावास और जुर्माना, दोनों से।

अदालत कानून के अनुसार दंड तय करेगी।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 31(1)।

6. "संज्ञेय" का क्या अर्थ है?

"संज्ञेय" का अर्थ है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया द्वारा अनुमति के अनुसार अपराध के संबंध में कार्रवाई कर सकती है।

अधिनियम कहता है कि संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन संज्ञेय अपराध है।

सरल शब्दों में, कानून इसे गंभीर मामला मानता है जिस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 32(1); तथा नियम 15(8)।

7. "गैर-जमानती" का क्या अर्थ है?

"गैर-जमानती" का अर्थ है कि जमानत अपने-आप नहीं मिलती।

इसका अर्थ यह नहीं कि जमानत कभी नहीं मिल सकती। इसका अर्थ है कि कानून और तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 32(1); तथा नियम 15(9)।

8. मैं उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करूँ?

आप उल्लंघन की रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को कर सकती हैं।

नियम कहते हैं कि रिपोर्ट लिखित रूप में होनी चाहिए और जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। संरक्षण अधिकारी को फिर शिकायत की प्रति, संरक्षण आदेश की प्रति के साथ, उपयुक्त आदेशों के लिए मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए।

यदि आप चाहें तो सीधे मजिस्ट्रेट या पुलिस से भी शिकायत कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा नियम 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4)।

9. उल्लंघन की रिपोर्ट करते समय मुझे क्या शामिल करना चाहिए?

यदि ऐसा करना सुरक्षित हो, तो समझाने का प्रयास करें:

- संरक्षण आदेश में क्या लिखा है;
- उल्लंघन कब हुआ;
- यह कहाँ हुआ;
- प्रत्यर्थी ने क्या किया;

- क्या धमकियाँ, हिंसा, संदेश, कॉल, मुलाकातें या दबाव था;
- क्या कोई बच्चे या अन्य लोग प्रभावित हुए;
- क्या आपको तत्काल संरक्षण, आश्रय, चिकित्सा सहायता या पुलिस सहायता चाहिए।

यदि आपके पास आदेश की प्रति, संदेश, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, चिकित्सा कागजात या गवाहों का विवरण है, तो वे मदद कर सकते हैं। लेकिन सभी दस्तावेज न होना आपको सहायता मांगने से नहीं रोकना चाहिए, खासकर यदि आप असुरक्षित हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा नियम 15।

10. क्या अदालत मेरे बयान के आधार पर कार्रवाई कर सकती है?

हाँ, ऐसा हो सकता है।

अधिनियम कहता है कि अदालत पीड़ित व्यक्ति की अकेली गवाही के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि उल्लंघन का अपराध हुआ है।

इसका अर्थ है कि आपका अपना बयान महत्वपूर्ण हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि अदालत हमेशा केवल आपके बयान पर ही मामला तय करेगी। अदालत कानून और तथ्यों पर विचार करेगी।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 32(2)।

11. क्या मैं सीधे पुलिस के पास जा सकती हूँ?

हाँ।

नियम कहते हैं कि यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे, तो वह संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश के उल्लंघन की शिकायत सीधे पुलिस से कर सकती है।

आप मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी से भी संपर्क कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा
नियम 15(4) और 15(8)।

12. क्या उल्लंघन के बाद संरक्षण अधिकारी मेरी मदद कर सकता है?

हाँ।

यदि संरक्षण आदेश का उल्लंघन हुआ है और आप संरक्षण अधिकारी से सहायता मांगती हैं, तो नियम कहते हैं कि संरक्षण अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन से सहायता लेकर आपको तुरंत बचाना चाहिए।

संरक्षण अधिकारी को उपयुक्त मामलों में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास रिपोर्ट दर्ज कराने में भी आपकी सहायता करनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9, 31 और 32; तथा नियम 15(5)।

13. यदि प्रत्यर्थी बार-बार फोन या मैसेज करता रहे तो क्या होगा?

यदि संरक्षण आदेश प्रत्यर्थी को आपसे संपर्क करने से रोकता है, तो फोन, संदेश, ईमेल, सोशल मीडिया संदेश या अन्य संपर्क उल्लंघन हो सकता है।

यदि सुरक्षित हो तो रिकॉर्ड रखें। आप उल्लंघन की रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस को कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 18(घ), 31 और 32; तथा नियम 15।

14. यदि प्रत्यर्थी मेरी सहायता करने वालों को धमकाता है तो क्या होगा?

संरक्षण आदेश प्रत्यर्थी को आपके रिश्तेदारों, आश्रितों या आपकी सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध हिंसा करने से रोक सकता है।

यदि प्रत्यर्थी किसी व्यक्ति को इसलिए धमकाता या नुकसान पहुँचाता है क्योंकि उसने आपकी सहायता की, और यह संरक्षण आदेश के विरुद्ध है, तो यह उल्लंघन हो सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 18(च), 31 और 32; तथा नियम 15।

15. यदि कोई और प्रत्यर्थी को आदेश न मानने में मदद करे तो क्या होगा?

नियम कहते हैं कि अधिनियम के तहत अदालत के आदेशों के प्रवर्तन का प्रत्यर्थी द्वारा, या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध, संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

यदि कोई प्रत्यर्थी को आदेश लागू होने से रोकने में मदद कर रहा है, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकती हैं और सहायता मांग सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: नियम 15(7)।

16. यदि प्रत्यर्थी निवास आदेश या धनीय आदेश का पालन नहीं करता तो क्या होगा?

यदि प्रत्यर्थी धनीय राहत का भुगतान नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोक्ता या देनदार को निर्देश दे सकते हैं कि वे प्रत्यर्थी की मजदूरी, वेतन या देय ऋण का कुछ हिस्सा सीधे

आपको दें या अदालत में जमा करें। इस राशि को बाद में उस रकम में समायोजित किया जा सकता है, जिसे प्रत्यर्थी को भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

यदि प्रत्यर्थी निवास आदेश का पालन नहीं करता है, तो आप मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी, पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण, वकील या सेवा प्रदाता से सहायता मांग सकती हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दे सकते हैं या संरक्षण अधिकारी को निवास आदेश लागू कराने में सहायता करने का निर्देश दे सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए अध्याय 13: आदेशों की मुफ्त प्रतियां, अवधि, बदलाव और प्रवर्तन देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएं 19(5), 19(6), 20(5),
20(6), 31 और 32; तथा नियम 15(7)।

17. उल्लंघन से संबंधित मामला आमतौर पर किस अदालत में देखा जाता है?

जहाँ तक संभव हो, अपराध की सुनवाई वही मजिस्ट्रेट करे जिसने वह आदेश दिया था जिसका उल्लंघन होने का आरोप है।

इसका अर्थ है कि जहाँ संभव हो, वही मजिस्ट्रेट जिसने संरक्षण आदेश दिया था, सामान्यतः उल्लंघन से निपट सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 31(2)।

18. क्या अन्य आपराधिक आरोपों पर भी विचार किया जा सकता है?

हाँ, कुछ मामलों में।

अधिनियम कहता है कि संरक्षण आदेश के उल्लंघन के आरोप तय करते समय, यदि तथ्यों से पता चले कि कुछ अन्य आपराधिक कानूनों के तहत अपराध हुए हो सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट वे आरोप भी तय कर सकता है।

यह तथ्यों और वर्तमान आपराधिक कानून पर निर्भर करता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 31(3) और 36; तथा
नियम 15(6)।

19. यदि प्रत्यर्थी को जमानत मिलती है तो अदालत कौन सी शर्तें लगा सकती है?

यदि प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत गिरफ्तार होता है और अदालत जमानत देती है, तो नियम कहते हैं कि अदालत पीड़ित महिला की रक्षा करने और आरोपी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगा सकती है।

इन शर्तों में ऐसे आदेश शामिल हो सकते हैं, जिनके तहत प्रत्यर्थी को निम्न कार्य करने से रोका जाता है:

- घरेलू हिंसा की धमकी देना या घरेलू हिंसा करना;
- पीड़ित महिला को परेशान करना, फोन करना या उससे संपर्क करना;
- उसके निवास स्थान या ऐसी जगहों पर प्रवेश करना या उनके पास ठहरना, जहां उसके जाने की संभावना हो;
- आग्नेयास्त्र या खतरनाक हथियार रखना या उसका उपयोग करना;
- शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना।

अदालत संरक्षण, सुरक्षा और पर्याप्त राहत के लिए आवश्यक अन्य शर्तें भी लगा सकती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान: नियम 15(9)।

20. यदि उल्लंघन के बाद मुझे तुरंत सहायता चाहिए तो क्या होगा?

यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो तुरंत सहायता लें। आप पुलिस, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

यदि आप उल्लंघन के बाद संरक्षण अधिकारी से सहायता मांगती हैं, तो नियम कहते हैं कि संरक्षण अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन से सहायता लेनी चाहिए और उपयुक्त मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने में आपकी सहायता करनी चाहिए।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा नियम 15(5) और 15(8)।

21. यदि पुलिस या संरक्षण अधिकारी कार्रवाई न करें तो क्या होगा?

यदि उल्लंघन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो आप किसी अन्य उपलब्ध प्राधिकारी या सहायक व्यक्ति से सहायता मांग सकती हैं, जैसे मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, सेवा प्रदाता, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन।

अधिनियम और नियम संरक्षण अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के कर्तव्य बताते हैं, लेकिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सटीक स्थानीय कदम राज्य की प्रथा और वर्तमान प्रक्रिया पर निर्भर हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 16: 'यदि अधिकारी या सहायता प्रदाता कार्रवाई न करें' देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 9, 31, 32, 33 और 34; तथा नियम 15।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है, तो जोखिम को गंभीरता से लें।

यदि तत्काल खतरा हो, तो पुलिस या आपात सेवाओं से संपर्क करें। यदि संभव हो, तो संरक्षण आदेश की एक प्रति अपने पास या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास रखें। यदि दस्तावेज, संदेश या रिकॉर्डिंग फोन में रखना असुरक्षित है, तो प्रतियाँ किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें।

सहायता मांगने से पहले बार-बार उल्लंघन होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय 16

यदि अधिकारी या सहायता प्रदाता कार्यवाही न करें

घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों और प्राधिकरणों को कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं। इनमें पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएँ तथा मजिस्ट्रेट शामिल हैं।

इस अध्याय में बताया गया है कि यदि आपकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या प्राधिकरण कार्यवाही नहीं करता, अनावश्यक विलंब करता है, सहायता देने से इंकार करता है, या आपको आपके अधिकारों की जानकारी नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं।

1. घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत किन-किन व्यक्तियों और प्राधिकरणों के कर्तव्य हैं?

अधिनियम और नियमों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों एवं प्राधिकरणों को अलग-अलग कर्तव्य सौंपे गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पुलिस अधिकारी;
- संरक्षण अधिकारी;
- सेवा प्रदाता;
- आश्रय गृह;
- चिकित्सा सुविधाएँ;
- मजिस्ट्रेट;
- केंद्र और राज्य सरकारें।

इनके कर्तव्य सभी समान नहीं हैं। कुछ को आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी होती है। कुछ को आवेदन, आश्रय, चिकित्सा सहायता, आपात कार्रवाई या आदेशों के प्रवर्तन में सहायता करनी होती है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11; तथा
नियम 4, 5, 8, 9, 10, 16 और 17।

2. सहायता मांगने पर अधिकारी मुझे कौन-सी जानकारी देंगे?

यदि कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त करता है, घरेलू हिंसा की घटना के स्थान पर उपस्थित होता है, या घरेलू हिंसा से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करता है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह व्यथित महिला को उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में जानकारी दे।

उसे निम्नलिखित अधिकारों के बारे में बताना चाहिए—

- अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आदेश प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में;
- उपलब्ध सेवा प्रदाताओं के बारे में;
- उपलब्ध संरक्षण अधिकारियों के बारे में;
- निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में;

जहाँ उपयुक्त हो, आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के उसके अधिकार के बारे में।

अधिनियम के अंतर्गत वह जिन आदेशों की मांग कर सकती है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- संरक्षण आदेश;
- निवास आदेश;
- आर्थिक राहत;
- अभिरक्षा आदेश;
- प्रतिकर आदेश; अथवा

परिस्थितियों के अनुसार इनमें से एक या एक से अधिक आदेश।

संबंधित विधिक प्रावधान: अधिनियम की धारा 5।

3. यदि किसी ने मुझे मेरे अधिकार नहीं समझाए तो क्या होगा?

यदि किसी ने आपको आपके अधिकार नहीं समझाए, तो भी आप अधिनियम के तहत सहायता मांग सकती हैं।

आप संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से पूछ सकती हैं कि कौन सी सहायता उपलब्ध है।

आप मजिस्ट्रेट को आवेदन भी कर सकती हैं। आवेदन आप स्वयं, संरक्षण अधिकारी या आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 9, 10 और 12; तथा नियम 8।

4. यदि संरक्षण अधिकारी घरेलू घटना रिपोर्ट नहीं बनाता तो क्या होगा?

घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर संरक्षण अधिकारी को घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करना अनिवार्य है।रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जानी चाहिए, और प्रतियाँ पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजी जानी चाहिए।

यदि संरक्षण अधिकारी कार्रवाई नहीं करता, तो आप किसी अन्य उपलब्ध मार्ग से सहायता मांग सकती हैं। आप मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेवा प्रदाता, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

आप स्वयं मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती हैं, या आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9 और 12; तथा नियम 4, 5 और 6 |

5. यदि संरक्षण अधिकारी आवेदन दाखिल करने में मेरी सहायता नहीं करता तो क्या होगा?

यदि आप अधिनियम के तहत राहत के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो संरक्षण अधिकारी को आवेदन करने और उसे मजिस्ट्रेट को भेजने में आपकी सहायता करनी चाहिए।

यदि आप पढ़ या लिख नहीं सकतीं, तो संरक्षण अधिकारी को आवेदन पढ़कर सुनाना और उसकी सामग्री आपको समझानी चाहिए।

यदि संरक्षण अधिकारी सहायता नहीं करता, तो भी आप मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती हैं। आवेदन आप स्वयं, संरक्षण अधिकारी, या आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 9 और 12; तथा नियम 6 |

6. यदि मुझे तत्काल सहायता चाहिए और संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता कार्रवाई नहीं करता तो क्या होगा?

आपात स्थिति में, यदि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि घरेलू हिंसा की जा रही है या होने की संभावना है, तो नियम कहते हैं कि उन्हें तत्काल पुलिस सहायता मांगनी होगी।

पुलिस को संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटना के स्थान पर जाना चाहिए। घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और उपयुक्त आदेशों के लिए बिना देरी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए।

यदि ऐसा नहीं होता और आप असुरक्षित हैं, तो तुरंत किसी अन्य उपलब्ध मार्ग से सहायता लें। आप पुलिस, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, वकील या किसी अन्य विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 9, 10, 12 और 23; तथा
नियम 9 |

7. यदि पुलिस मेरी सहायता नहीं करती तो क्या होगा?

यदि पुलिस आपकी सहायता नहीं करती है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम में पुलिस के विरुद्ध शिकायत करने की कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आप संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, किसी पंजीकृत सेवा प्रदाता, अधिवक्ता या किसी विश्वसनीय सहायता संगठन से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 5; तथा नियम 9 और नियम 15 |

8. यदि सेवा प्रदाता मेरी सहायता नहीं करता तो क्या होगा?

यदि आप अनुरोध करें, तो कोई पंजीकृत सेवा प्रदाता घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करने, चिकित्सीय परीक्षण की व्यवस्था करने, आश्रय उपलब्ध कराने में सहायता करने तथा आपको संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट से संपर्क कराने में सहायता कर सकता है।

जब किसी सेवा प्रदाता को घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होती है, वह घरेलू हिंसा की घटना के स्थान पर उपस्थित होता है, या उसे घरेलू हिंसा से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है, तो अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं।

यदि एक सेवा प्रदाता सहायता नहीं करता, तो आप दूसरे सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धाराएँ 5 और 10; तथा
नियम 5, 9 और 11 |

9. यदि आश्रय गृह मुझे आश्रय देने से इंकार करे तो क्या होगा?

यदि पीड़ित महिला, या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, आश्रय का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह के प्रभारी व्यक्ति को आश्रय देना होगा।

नियम यह भी कहते हैं कि आश्रय गृह केवल इसलिए आश्रय देने से इंकार नहीं करे कि घरेलू घटना रिपोर्ट पहले से दर्ज नहीं हुई है।

यदि आश्रय गृह सहायता से इंकार करे, तो संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या किसी अन्य आश्रय या सहायता संगठन से सहायता लें।

यदि ऐसा करना सुरक्षित हो, तो आश्रय देने से इंकार किए जाने का रिकॉर्ड तैयार करने का अनुरोध करें, या किसी विश्वसनीय सहायता करने वाले व्यक्ति से इस मामले में आगे की कार्यवाही कराने में सहायता लें।

संबंधित कानूनी प्रावधानः अधिनियम की धारा 6; तथा नियम 16।

10. यदि चिकित्सा सुविधा चिकित्सा सहायता से इंकार करे तो क्या होगा?

यदि पीड़ित महिला, या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, चिकित्सा सहायता का अनुरोध करता है, तो चिकित्सा सुविधा के प्रभारी व्यक्ति को चिकित्सा सहायता देनी होगी।

नियम कहते हैं कि चिकित्सा सुविधा केवल इसलिए चिकित्सा सहायता देने से इंकार नहीं करे कि घरेलू घटना रिपोर्ट पहले से दर्ज नहीं हुई है।

यदि घरेलू घटना रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, तो चिकित्सा सुविधा के प्रभारी व्यक्ति को प्रपत्र । भरकर स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजना चाहिए।

यदि चिकित्सा सुविधा सहायता से इंकार करे, तो किसी अन्य चिकित्सा सुविधा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से सहायता लें।

संबंधित कानूनी प्रावधानः अधिनियम की धारा 7; तथा नियम 17।

11. यदि संरक्षण आदेश के उल्लंघन के बाद संरक्षण अधिकारी सहायता नहीं करता तो क्या होगा?

यदि संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को कर सकती हैं।

नियम कहते हैं कि संरक्षण अधिकारी को शिकायत, संरक्षण आदेश की प्रति के साथ, उपयुक्त आदेशों के लिए मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए।

यदि उल्लंघन के बाद आप संरक्षण अधिकारी से सहायता मांगती हैं, तो नियम कहते हैं कि संरक्षण अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन से सहायता लेकर आपको तुरंत बचाना चाहिए और उपयुक्त मामलों में पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने में आपकी सहायता करनी चाहिए।

यदि आप चाहें तो सीधे मजिस्ट्रेट या पुलिस से भी शिकायत कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए *अध्याय 15: "संरक्षण आदेश का उल्लंघन और दंड"* देखें।

संबंधित कानूनी प्रावधानः
अधिनियम की धाराएँ 31 और 32; तथा नियम 15।

12. क्या संरक्षण अधिकारी को अपना कर्तव्य न निभाने पर दंडित किया जा सकता है?

हाँ, कुछ परिस्थितियों में।

यदि संरक्षण अधिकारी पर्याप्त कारण के बिना, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है या इंकार करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

दंड एक वर्ष तक के कारावास, या बीस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों का हो सकता है।

यह हर देरी या गलती पर लागू नहीं होता। अधिनियम विशेष रूप से पर्याप्त कारण के बिना संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित कर्तव्यों के पालन में विफलता या इंकार की बात करता है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धारा 33 |

13. क्या मैं अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ?

कुछ स्थितियों में, अधिनियम ऐसे संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देता है जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता।

हालाँकि, अधिनियम कहता है कि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के साथ शिकायत दाखिल न की जाए।

"स्वीकृति" का अर्थ औपचारिक अनुमति या अनुमोदन है। इस संदर्भ में, "पूर्व स्वीकृति" का अर्थ है कि अभियोजन या कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

यहाँ समीक्षा किए गए अधिनियम और नियम यह चरण-दर-चरण प्रक्रिया नहीं बताते कि यह स्वीकृति कैसे मांगी जाए, या प्रत्येक राज्य में कौन सा अधिकारी अधिकृत है।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 33 और 34 |

14. "पर्याप्त कारण" का क्या अर्थ है?

धारा 33 कहती है कि यदि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण आदेश में निर्देशित कर्तव्यों का पालन करने में "बिना किसी पर्याप्त कारण" विफल रहता है या इंकार करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

अधिनियम में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों को "पर्याप्त कारण" माना जाएगा। इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों, मजिस्ट्रेट के निर्देशों तथा न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले कानून के आधार पर किया जाएगा।

संबंधित कानूनी प्रावधान: अधिनियम की धारा 33।

15. यदि कोई व्यक्ति या कार्यालय सहायता नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ?

यदि कोई व्यक्ति या कार्यालय सहायता नहीं कर रहा है, तो आप कोई अन्य सुरक्षित और उपलब्ध मार्ग आजमा सकती हैं।

परिस्थितियों के अनुसार, आप निम्नलिखित में से किसी से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं—

- मजिस्ट्रेट से;
- यदि उपलब्ध हो, किसी अन्य संरक्षण अधिकारी से;
- पुलिस;
- सेवा प्रदाता से;
- आश्रय गृह;
- चिकित्सा सुविधा;
- विधिक सहायता प्राधिकरण से;
- वकील से;
- विश्वसनीय सहायता संगठन।

यदि सुरक्षित हो, तो इसका नोट रखें:

- आपने सहायता कब मांगी, तारीख और समय;
- जिस व्यक्ति या कार्यालय से संपर्क किया, उसका नाम या कार्यालय;
- आपने क्या मांगा;
- आपको क्या उत्तर मिला;
- कोई इंकार, देरी, धमकी या दबाव;

कोई दस्तावेज, संदेश, कॉल रिकॉर्ड या शिकायत नंबर।

यदि आपके पास ये विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तब भी सहायता प्राप्त करने में देर न करें।

संबंधित कानूनी प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 5, 6, 7, 9, 10, 12, 23, 31 और 32; तथा
नियम 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 और 17।

16. यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो क्या मैं मजिस्ट्रेट से सहायता मांग सकती हूँ?

हाँ, आप अधिनियम के तहत राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकती हैं।

धारा 12 के अंतर्गत आवेदन आप स्वयं, कोई संरक्षण अधिकारी, या आपकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है।

यदि न्यायालय पहले ही कोई आदेश पारित कर चुका है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप उस आदेश के पालन के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यदि संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया गया है, तो उसकी शिकायत अधिनियम और नियमों के अनुसार की जा सकती है।

संबंधित विधिक प्रावधान:
अधिनियम की धाराएँ 12, 23, 25, 31 और 32; तथा
नियम 6, 10 और 15।

सुरक्षा संबंधी नोट

यदि अधिकारी या सहायता प्रदाता कार्रवाई नहीं करते और आप खतरे में हैं, तो जल्दी कोई अन्य सुरक्षित मार्ग आजमाएँ। आप पुलिस, मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता प्राधिकरण, वकील या विश्वसनीय सहायता संगठन से संपर्क कर सकती हैं।

यदि ऐसा करना आपके लिए सुरक्षित हो, तो सहायता के लिए किए गए अपने अनुरोधों और सहायता देने से किए गए किसी भी इंकार का संक्षिप्त विवरण या उसकी प्रतियाँ सुरक्षित रखें। यदि अपने पास कागज़ात या संदेश रखना सुरक्षित न हो, तो उनकी प्रतियाँ किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखने पर विचार करें।यदि आपको एक स्थान पर सहायता नहीं मिलती है, तो बार-बार सहायता से इंकार किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना किसी अन्य उपलब्ध स्रोत से सहायता प्राप्त करें।

आभार

यह पुस्तिका एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी साधनों तथा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया से परिचित कराना है। यह अनेक विधि विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सहयोगियों के समर्पित योगदान के कारण संभव हो सकी है।

न्याय की राह पर आगे बढ़ रही साहसी महिलाओं के नाम

यह पुस्तिका आप सभी को समर्पित है। न्याय, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की आपकी सतत खोज ही इस प्रयास की प्रेरणा है। हमें आशा है कि यह पुस्तिका कानून को सरल और सहज रूप में समझने में आपकी सहायता करेगी, न्याय प्राप्त करने की राह में आने वाली बाधाओं को कम करेगी तथा आपके अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण का प्रभावी साधन बनेगी।

विधि विशेषज्ञों और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के प्रति

हम उन सभी विधि विशेषज्ञों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से इस पुस्तिका को समृद्ध बनाया। आपके मार्गदर्शन से यह सुनिश्चित हुआ कि इसमें दी गई कानूनी जानकारी सही, व्यावहारिक और उपयोगी हो। सभी महिलाओं के लिए न्याय को सुलभ बनाने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता सराहनीय है।

अग्रिम पंक्ति में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं और सहायता प्रदाताओं के प्रति

हम उन सभी महिला सहायता समूहों, आश्रय गृहों के कर्मचारियों और सामुदायिक संगठनों का धन्यवाद करते हैं, जो प्रतिदिन घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपके व्यावहारिक अनुभवों ने इस पुस्तिका को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे यह महिलाओं की तात्कालिक और व्यावहारिक कानूनी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके।

संपादकीय एवं शोध दल के प्रति

हम उन शोधकर्ताओं और संपादकों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना समय और विशेषज्ञता स्वेच्छा से इस कार्य में दी। जटिल विधिक प्रावधानों को सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में प्रस्तुत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपकी लगन और सजगता ने इस पुस्तिका को ऐसा बनाया है कि इसे कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से समझा और उपयोग किया जा सके।